प्रशान्त कुमार, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश



अर्द्धशा0परिष्रसं-डीजी-33/2024 मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र0

सिग्नेचर बिल्डिंग शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ — 226002 फोन नं:0522—2724003/2390240, फैक्स नं:0522—2724009 सीयूजी नं. 9454400101

ई-मेल : police.up@nic.in वेबसाईट : https://uppolice.gov.in दिनांक: अगस्त 06,2024

विषय:- मा0 उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली में योजित क्रिमिनल अपील संख्या 652/2012 मोहन लाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल रिवीजन नम्बर 1455/2024 शैलेन्द्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी दिनांक 30/07/2024 के क्रम में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया.

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहन लाल व अन्य अपील संख्या 652/2012 दिनांक 28/01/2016 को पारित आदेश में NDPS ACT,1985 की धारा 52A का अनुपालन किये जाने हेतु आदेश दिया गया था। इसी संदर्भ में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सिमरन जीत सिंह बनाम पंजाब राज्य 2023 SCC SC 906 व मांगीलाल बनाम मध्यप्रदेश 2023 SCC SC 862 व यूसूफ उर्फ आशिफ बनाम स्टेट 2023 SCC SC 1328 में भी NDPS 1985 की धारा 52A के आदेशों में भी NDPS ACT1985 की धारा 52A का अनुपालन किये जाने का आदेश पारित किया गया था।

2. विद्वान शासकीय अधिवक्ता,मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 12566/GA/HC/ALLD दिनांक 01/08/2024 क्रिमिनल रिवीजन नं0 1455/2024 शैलेन्द्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/07/2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें,जिसमें शासकीय अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि NDPS Act के मामलों में अधिनियम की धारा 52 ए विशेष रूप से उप धारा 52 ए (2) का अनुपालन नहीं किया जा रहा है,अनुपालन न किये जाने की वजह से अभियुक्तगणों को इसका लाभ मिल रहा है, जिस कारण भारी मात्रा में बरामदगी होते हुए भी कतिपय मामले मा0 उच्च न्यायालय में रह (Quash) किये जा रहे हैं तथा अन्य प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी भी की गयी हैं।

Session Judge, Court No. 21, Kanpur Nagar in Session Trial No. 438 of 2022 whereby discharge application of the revisionist has been rejected, is the subject matter of challenge in the present case mainly on the ground of non-compliance of mandatory provisions of Section 52A of the NDPS Act in terms of the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of Union of India vs. Mohanlal and other, (2016) 3 SCC 379.

The main substratum of argument of learned counsel for the revisionist is that the non-compliance of mandatory provisions of Section 52A of the NDPS Act will vitiate the trial against the accused. Referring the provisions of Sections 166 and 217 I.P.C., much emphasis has been given by contending that disobedience of any direction of law by the public servant is an offence punishable under the aforesaid Sections 166 and 217 I.P.C.

This court finds that in number of cases the provisions of Section 52A of the NDPS Act are not being complied with despite repeated directions of Hon'ble Supreme Court in the matters of Simranjit Singh vs. State of Punjab, 2023 SCC Online SC 906, Mangilal vs. State of Madhya Pradesh, 2023 SCC Online SC 862, Yusuf Asif vs. State, 2023 SCC Online SC 1328 and Mohammed Khalid and other. vs. State of Telangana, (2024) 5 SCC 393, and no appropriate actions are being taken against such erring officers. The authorities concerned are also acting as silent spectators. The clear instructions with regard to compliance or non- compliance of Section 52A of the NDPS Act are also not sent in several cases to the State counsel, which causes embarrassing position of the State counsel before the Courts in defending the prosecution case.

Learned Government Advocate prays for and is allowed two weeks' time to seek instructions from the Principal Secretary (Home), U.P. Lucknow, Director General of Police, U.P. and Inspector General of Police (Narcotics) by the next date as to why State Police is not complying the mandatory provisions of Section 52A of the NDPS Act in true sense in terms of directions issued by the Hon'ble Supreme Court as noted above and what steps have been taken by them to ensure the compliance of the above noted judgments of the Hon'ble Supreme Court.

The Section 52 A of Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 for ready reference is being quoted here as under

(1) Disposal of seized narcotic drugs and psychotropic sub-stances. (1) The Central Government may, having regard to the hazardous nature, vulnerability to theft, substitution, constraint of proper storage space or any other relevant consideration, in respect of any narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances, by notification in the Official Gazette, specify such narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyance or class of narcotic drugs, class of psychotropic substances, class of controlled substances or conveyances. which shall, as soon as may be after their seizure, be disposed of by such officer and in such manner as that Government may, from time to time, determine after following the procedure hereinafter specified.

(2)Where any [narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances) has been seized and forwarded to the officer-in-charge of the nearest police station or to the officer empowered under Section 53, the officer referred to in sub-section (1) shall prepare on inventory of such Narcotic drugs, psychotropic

substances. controlled substances or conveyed containing such details relating to their description, quality, quantity, mode of packing, marks, numbers or such other identifying particulars of the 72 (narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances] or the packing in which they are packed, country of origin and other particulars as the officer referred to in sub-section (1) may consider relevant to the identity of the 73 (narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances] in any proceedings under this Act and make an application, to any Magistrate for the purpose of-

- (a) certifying the correctness of the inventory so prepared; or
- (b) taking, in the presence of such Magistrate, photographs of 74[such drugs, substances or conveyances) and certifying such photographs as true; or
- (c) allowing to draw representative samples of such drugs or substances, in the presence of such Magistrate and certifying the correctness of any list of samples so drawn.

It is also relevant to mention that the Hon'ble Apex Court in a very land mark judgment passed in the Criminal Appeal No. 3191 of 2023 (Arising out of SLP (Crl.) No. 3010 of 2023) in the case of Yusuf Vs. State has set aside the entire proceeding due to non compliance of Section 52 A as a result the proceedings so drawn under the NDPS Act are bound to be affected by the said legal proposition. It would be appropriate to issue necessary directions to the authorities/Investigating Agencies/Investigating Officers to comply strictly the provisions of the NDPS Act of Section 52 A so as to ensure that the guilty in the matters involved shall not go scott free.

3. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विभिन्न याचिकाओं में NDPS ACT 1985 की धारा 52 A (2) विवेचकों तथा पर्यवेक्षण कर्ता अधिकारियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में दोष अंकित करते हुये उनके विरुद्ध 166, 217 भा0 दण्ड विधान के अंतर्गत अभियोग भी पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है।

इस संदर्भ में अर्द्धशा0 पत्र सं0 डीजी-12/2017 दिनांक 20/05/2017, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहनलाल एवं अन्य (2016) 3 SCC 379 के अंतर्गत विस्तृत रूप से NDPS ACT 1985 की धारा 52 A के अंतर्गत कार्यवाही करने की प्रकिया को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।इसी संदर्भ में पत्र संख्या DG-VII-ANTF(DDC)/2023/158 दिनांक 04.07.2023 व डीजी-VII-ANTF(निर्देश)/2024 दिनांक 09/04/2024 द्वारा भी NDPS ACT 1985 की धारा 52 A (2) का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिया गया था।

4. अतःआपको निर्देशित किया जाता है कि NDPS Act 1985 की धारा 52(A) व विशेष रूप से 52 A(2) का अनुपालन अक्षरशः कराना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन न करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों के विरुद्ध विधिक/विभागीय कार्यवाही करते हुये उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

प्रकरण अति महत्व का है अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न

संलग्नक- यथोपरि ।

भवदीय

प्रशान्त कुमार)

- 1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 3. समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 4. समस्त पुलिस अधीक्षक,राजकीय रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् -

- 1. समस्त पुलिस महानिदेशक ,उ०प्र0 लखनऊ।
- 2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र0 लखनऊ।
- 3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।

द्वारा ई-मेल/फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक , एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

तृतीय तल टावर-01, पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002 पत्र संख्या:DG-VII-ANTF(निर्देश)/2024 दिनांक- अगस्त्र• 2024

समस्त पुलिस आयुक्त,

उत्तर प्रदेश।

समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक,

उत्तर प्रदेश।

समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

उत्तर प्रदेश।

समस्त पुलिस अधीक्षक,राजकीय रेलवे पुलिस,

उत्तर प्रदेश।

कृपया विद्वान शासकीय अधिवक्ता,मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 12566/GA/HC/ALLD दिनांक 01/08/2024 क्रिमिनल रिवीजन नं0 1455/2024 शैलेन्द्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/07/2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें,जिसमें शासकीय अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि NDPS Act के मामलों में अधिनियम की धारा 52 ए विशेष रूप से उप धारा 52 ए (2) का अनुपालन नहीं किया जा रहा है,अनुपालन न किये जाने की वजह से अभियुक्तगणों को इसका लाभ मिल रहा है, जिस कारण भारी मात्रा में बरामदगी होते हुए भी कतिपय मामले मा0 उच्च न्यायालय में रह (Quash) किये जा रहे हैं तथा कई प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी भी की गयी हैं।

उपरोक्त प्रकरण में भी मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहनलाल एवं अन्य (2016) 3 SCC 379 व सिमरन जीत सिंह बनाम पंजाब राज्य 2023 SCC SC 906 व मांगीलाल बनाम मध्यप्रदेश 2023 SCC SC 862 व यूसूफ उर्फ आशिफ बनाम स्टेट 2023 SCC SC 1328 में धारा 52(A) NDPS Act का अनुपालन MANDATORY किया गया है, फिर भी मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 30.07.2024 को निम्न आदेश पारित किया गया है।

Session Judge, Court No. 21, Kanpur Nagar in Session Trial No. 438 of 2022 whereby discharge application of the revisionist has been rejected, is the subject matter of challenge in the present case mainly on the ground of non-compliance of mandatory provisions of Section 52A of the NDPS Act in terms of the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of Union of India vs. Mohanlal and Anr., (2016) 3 SCC 379.

The main substratum of argument of learned counsel for the revisionist is that the non-compliance of mandatory provisions of Section 52A of the NDPS Act will vitiate the trial against the accused. Referring the provisions of Sections 166 and 217 I.P.C., much emphasis has been given by contending that disobedience of any direction of law by the public servant is an offence punishable under the aforesaid Sections 166 and 217 I.P.C.

This court finds that in number of cases the provisions of Section 52A of the NDPS Act are not being complied with despite repeated directions of Hon'ble Supreme Court in the matters of Simranjit Singh vs. State of Punjab, 2023 SCC OnLine SC 906, Mangilal vs. State of Madhya Pradesh, 2023 SCC OnLine SC

862, Yusuf Asif vs. State, 2023 SCC OnLine SC 1328 and Mohammed Khalid and Anr. vs. State of Telangana, (2024) 5 SCC 393, and no appropriate actions are being taken against such erring officers. The authorities concerned are also acting as silent spectators. The clear instructions with regard to compliance or non- compliance of Section 52A of the NDPS Act are also not sent in several cases to the State counsel, which causes embarrassing position of the State counsel before the Courts in defending the prosecution case.

Learned Government Advocate prays for and is allowed two weeks' time to seek instructions from the Principal Secretary (Home), U.P. Lucknow, Director General of Police, U.P. and Inspector General of Police (Narcotics) by the next date as to why State Police is not complying the mandatory provisions of Section 52A of the NDPS Act in true sense in terms of directions issued by the Hon'ble Supreme Court as noted above and what steps have been taken by them to ensure the compliance of the above noted judgments of the Hon'ble Supreme Court.

इसके पूर्व भी विद्वान शासकीय अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र दिनांक 15.03.2024 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या –3191/2023(सम्बन्धित एसएलपी क्रिमिनल संख्या -3010/2023 यूसूफ बनाम राज्य में पारित आदेश का निम्नवत उल्लेख किया गया है)

The Section 52 A of Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 for ready reference is being quoted here as under

- (1) Disposal of seized narcotic drugs and psychotropic sub- stances. (1) The Central Government may, having regard to the hazardous nature, vulnerability to theft, substitution, constraint of proper storage space or any other relevant consideration, in respect of any narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances, by notification in the Official Gazette, specify such narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyance or class of narcotic drugs, class of psychotropic substances, class of controlled substances or conveyances, which shall, as soon as may be after their seizure, be disposed of by such officer and in such manner as that Government may, from time to time, determine after following the procedure hereinafter specified.
- (2)Where any [narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances) has been seized and forwarded to the officer-in-charge of the nearest police station or to the officer empowered under Section 53, the officer referred to in sub-section (1) shall prepare on inventory of such Inarcotic drugs, psychotropic substances. controlled substances or conveyanceal containing such details relating to their description, quality, quantity, mode of packing, marks, numbers or such other identifying particulars of the 72 (narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances] or the packing in which they are packed, country of origin and other particulars as the officer referred to in sub-section (1) may consider relevant to the identity of the 73 (narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances] in any proceedings under this Act and make an application, to any Magistrate for the purpose of-
- (a) certifying the correctness of the inventory so prepared; or
- (b) taking, in the presence of such Magistrate, photographs of 74[such drugs, substances or conveyances) and certifying such photographs as true; or
- (c) allowing to draw representative samples of such drugs or substances, in the presence of such Magistrate and certifying the correctness of any list of samples so drawn.

It is also relevant to mention that the Hon'ble Apex Court in a very land mark judgment passed in the Criminal Appeal No. 3191 of 2023 (Arising out of SLP (Crl.) No. 3010 of 2023) in the case of Yusuf Vs. State has set aside the entire proceeding due to non compliance of Section 52 A as a result the

proceedings so drawn under the NDPS Act are bound to be affected by the said legal proposition. It would be appropriate to issue necessary directions to the authorities/Investigating Agencies/Investigating Officers to comply strictly the provisions of the NDPS Act of Section 52 A so as to ensure that the guilty in the matters involved shall not go scottfree.

1. धारा 52(A) व विशेष रुप से 52 A(2) NDPS Act 1985 के अन्तर्गत दिये गये उपबन्ध निम्नवत है -

2. जहां कोई स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों अभिगृहीत कर लिया गया है और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को भेज दिया गया है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी स्वापक ओषधियों या मनः प्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों की एक तालिका तैयार करेगा जिसमें उनके वर्णन, क्वालिटी, परिमाण, पैक करने के ढंग, चिन्हांकन, संख्यांक या ऐसी स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों या पैकिंग की, जिनमें वे पैक किए गए हैं, पहचान कराने वाली अन्य विशिष्या हस्तांतरणों या और अन्य विशिष्टियों से संबंधित ऐसे अन्य ब्यौरे दिए गए हों, जिन्हें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसो स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों को पहचान के लिए सुसंगत समझे और किसी मजिस्ट्रेट को

निम्नलिखित प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा, अर्थात् –

- (क) ऐसे तैयार की गई तालिका का सही होना प्रमाणित करने के लिए, या
- (ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी (औषधियों, पदार्थों, या हस्तांतरणों) के फोटोचित्रों लेने और ऐसे फोटोचित्रों का सही होना प्रमाणित करने के लिए, या
- (ग) ऐसे मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने की अनुज्ञा देने के लिए और ऐसे लिए गए नमूनों की किसी सूची का सही होना प्रमाणित करने के लिए।
- 3. जहां NDPS ACT 1985 की धारा 52 A(2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यथाशक्य ऐसा आवेदन मंजूर करेगा।
- 4.भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका, (स्वापक ओषिधयों, मनः प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों के फोटोचित्रों और नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के संबंध में, प्राथमिक साक्ष्य मानेगा)।

इस सम्बन्ध में भारत का राजपत्र दिनांक 23.12.2022 भी जारी किया गया है जिसमें NDPS Act की धारा 52(A) व विशेष रुप से 52A(2) के अनुपालन के सम्बन्ध में विस्तृत आलेख है।

उक्त आदेश के अनुपालन हेतु मेरे समसंख्यक पत्र DG-VII-ANTF(DDC)/2023/158 दिनांक 04.07.2023 को उच्चाधिकारियों के अनुमोदन व पत्र संख्याः DG-VII-ANTF(निर्देश)/2024 दिनांक 09.04.2024 में विस्तृत निर्देश मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु जारी किया जा चुका है। उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें जिससे मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न न हो सके क्योंकि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में

अनुपालन न किये जाने की स्थिति में दोषी पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि NDPS Act 1985 की धारा 52(A) व विशेष रूप से 52 A(2) का अनुपालन अक्षरशः कराना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन न करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों के विरुद्ध विधिक/विभागीय कार्यवाही करते हुये उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

यह भी अनुरोध है कि दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 31.07.2024 तक पंजीकृत NDPS के अभियोगों में धारा 52(A) व विशेष रूप से 52 A(2) के अनुपालन की सूचना प्रारूपानुसार दिनांक 08.08.2024 तक प्रत्येक दशा में इस कार्यालय की ई-मेल आईडी antfphq@gmail.com पर भेजना सुनिधित करें ताकि समय से मा0 उच्च न्यायालय में उपरोक्त वर्णित प्रकरण के संदर्भ में अनुपालन आख्या दाखिल किया जा सके।

प्रारुप

	वर्ष		पंजीकृत NDPS के अभियोगों की संख्या	पंजीकृत अभियोगों में धारा 52(A) व विशेष रूप से 52 A(2) का अनुपालन करने वाले प्रकरणों की	वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के
2022	2023	2024 जुलाई	(IG4)	संख्या जिसमें (यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष INVENTRY तैयार की गयी हो नमूना निकाला गया हो व फोटोग्राफ लिये गये हो)	

यह पत्र पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश लखनऊ से अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोपरि।

(अब्दुल हमाव) ' पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
- 3- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ।
- 4- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र० ।
- 5- समस्त पुलिस अधीक्षक,राजकीय रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश, को ।
- 6- पुलिस अधीक्षक,विधि प्रकोष्ठ,मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ०प्र0 लखनऊ को।
- 7- समस्त पुलिस उपाधीक्षक / यूनिट / थाना प्रभारी ए०एन०टी०एफ० उत्तर प्रदेश।

Ashutosh Kumar Sand

Government Advocate High Court Allahabad



Resi

: 1337 / 1116, Kalyani Devi

District Prayagraj

Phone

: (0532) - 2421294 (Office)

- 2622063 (Fax)

Mobile

: 9415216639 / 9559444776

COURT CASE / MOST IMPORTANT

To,

OSTS,

8-261

SP (085) / Impr (085)

The Principal Secretary (Home), 1. Government of Uttar Pradesh, Lucknow

2. The Director General of Police, Uttar Pradesh, Lucknow

The Inspector General of Police (Narcotics), 3. Uttar Pradesh, Lucknow

पुलिस महानिरीक्षक एन्टी नारकोटिक्स टारक फोर्स मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ

Letter No. 12566 /GA/HC/ALLD

Dated: 01.08.2024

Ref: Criminal Revision No. 1455 of 2024 (Shailendra Kumar Vs. State of U.P.), arising out of judgment and order dated 21.10.2023 passed by learned Additional Sessions Judge, Room No. 21, District Kanpur Nagar in Sesssions Trial No. 438 of 2022 under sections 8/20/22/23/25/60 of N.D.P.S. Act, Police Station Nawabganj, District Kanpur

i'me

.....

Dear Sir,

The above-captiponed criminal revision was taken up on 30.07.2024 before the Hon'ble Court, whereupon after hearing the parties, at length, the Hon'ble Court has observed that in number of cases, the provisions of section 52-A of the N.D.P.S. Act are not being complied with, despite repeated directions of the Hon'ble Supreme Court in the matters of; Simranjit Singh vs. State of Punjab, 2023 SCC OnLine SC 906, Mangilal vs. State of Madhya Pradesh, 2023 SCC OnLine SC 862, Yusuf @ Asif vs. State, 2023 SCC OnLine SC 1328 and Mohammed Khalid and Anr. vs. State of Telangana, (2024) 5 SCC 393, and no appropriate actions are being taken against such erring officers. The authorities concerned are also acting as silent spectators. The clear instructions with regard to compliance or non-compliance of section 52-A of the N.D.P.S. Act are also not sent in several cases to the State counsel, which causes embarrassing position of the State counsel before the Courts in defending the prosecution case.

After hearing the parties, the Hon'ble Court has been pleased to direct the State to seek jipstructions from the (i) Principal Secretary (Home), Government of Uttar Pradesh, Lucknow, (ii) Director General of Police, Uttar Pradesh, Lucknow, and (iii) Inspector General of Police (Narcotics) by the next date as to why the State Police is not complying the mandatory provisions of section 52-A of the N.D.P.S. Act in true sense in terms of directions issued by the Hon'ble

Ashutosh Kumar Sand

Government Advocate High Court Allahabad



Resi

: 1337 / 1116, Kalyani Devi District Prayagraj

Phone

: (0532) - 2421294 (Office)

- 2622063 (Fax)

Mobile

: 9415216639 / 9559444776

Supreme Court, as noted above and what steps have been taken by them to ensure the compliance of the above noted judgments of the Hon'ble Supreme Court. **The Hon'ble**

Court has fixed the next date as 20.08.2024. (A copy of the order dated 30.07.2024 is enclosed with this letter.)

In view of the aforesaid, it is, therefore, requested you, kindly accord this matter top priority and ensure compliance of the Hon'ble Court's order dated 30.07.2024 in its letter and spirit by providing required instructions on or before 13.08.2024.

Enclosure: (02)

1. Copy of criminal revision

2. Copy of order dated 30.07.2024

Yours truly

(Ashutosh Kumar Sand)

Government Advocate High Court, Allahabad

Copy to: - (for information & necessary action)

The Commissioner of Police, Kanpur Nagar

> Government Advocate High Court, Allahabad

Court No. - 84

Case: - CRIMINAL REVISION No. - 1455 of 2024

Revisionist: - Shailendra Kumar Singh Opposite Party: - State of U.P. Counsel for Revisionist: - Agni Pal Singh Counsel for Opposite Party: - G.A.

Hon'ble Sanjay Kumar Singh, J.

The order dated 21.10.2023 passed by Additional Session Judge, Court No. 21, Kanpur Nagar in Session Trial No. 438 of 2022 whereby discharge application of the revisionist has been rejected, is the subject matter of challenge in the present case mainly on the ground of non-compliance of mandatory provisions of Section 52A of the NDPS Act in terms of the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of *Union of India vs. Mohanlal and Anr.*, (2016) 3 SCC 379.

The main substratum of argument of learned counsel for the revisionist is that the non-compliance of mandatory provisions of Section 52A of the NDPS Act will vitiate the trial against the accused. Referring the provisions of Sections 166 and 217 I.P.C., much emphasis has been given by contending that disobedience of any direction of law by the public servant is an offence punishable under the aforesaid Sections 166 and 217 I.P.C.

This court finds that in number of cases the provisions of Section 52A of the NDPS Act are not being complied with despite repeated directions of Hon'ble Supreme Court in the matters of Simranjit Singh vs. State of Punjab, 2023 SCC OnLine SC 906, Mangilal vs. State of Madhya Pradesh, 2023 SCC OnLine SC 862, Yusuf @ Asif vs. State, 2023 SCC OnLine SC 1328 and Mohammed Khalid and Anr. vs. State of Telangana, (2024) 5 SCC 393, and no appropriate actions are being taken against such erring officers. The authorities concerned are also acting as silent spectators. The clear instructions with regard to compliance or noncompliance of Section 52A of the NDPS Act are also



not sent in several cases to the State counsel, which causes embarrassing position of the State counsel before the Courts in defending the prosecution case.

Learned Government Advocate prays for and is allowed two weeks' time to seek instructions from the Principal Secretary (Home), U.P. Lucknow, Director General of Police, U.P. and Inspector General of Police (Narcotics) by the next date as to why State Police is not complying the mandatory provisions of Section 52A of the NDPS Act in true sense in terms of directions issued by the Hon'ble Supreme Court as them to ensure the compliance of the above noted judgments of the Hon'ble Supreme Court.

Put up this case as fresh on 20.08.2024.

Order Date :- 30.7.2024 Kashifa मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक , एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

तृतीय तल टावर-01, पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002 पत्र संख्या:DG-VII-ANTF(निर्देश)/2024 दिनांक- अप्रैल •**9**2024

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश। समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

रर्न्ट

मुख

कृपया पुलिस अधीक्षक (विधि प्रकोष्ठ) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक 30प्र0 लखनऊ के पत्र सं॰ डीजी-दस- वि॰प्र॰-रिट-(मिस)/2024/1522 दिनांक: 18.03.2024(छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें,जिसमें शासकीय अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के पत्र दिनांक 15.03.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि NDPS Act के मामलों में अधिनियम की धारा 52 ए विशेष रूप से उप धारा 52 ए (2) का अनुपालन नहीं किया जा रहा है,अनुपालन न किये जाने की वजह से अभियुक्तगणों को इसका लाभ मिल रहा है, जिस कारण भारी मात्रा में बरामदगी होते हुए भी कितपय मामले मा0 उच्च न्यायालय में रह (Quash) किये जा रहे हैं तथा कई प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा प्रतिकृल टिपण्णी भी की गयी हैं।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता,मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के पत्र दिनांकित 15.03.2024 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या-3191/2023 सम्बन्धित एसएलपी क्रिमिनल संख्या-3010/2023 यूसूफ बनाम राज्य में पारित निर्देश का निम्नवत उल्लेख किया गया है -

The Section 52 A of Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 for ready reference is being quoted here as under

- (1) Disposal of seized narcotic drugs and psychotropic sub- stances. (1) The Central Government may, having regard to the hazardous nature, vulnerability to thefi, substitution, constraint of proper storage space or any other relevant consideration, in respect of any narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances, by notification in the Official Gazette, specify such narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyance or class of narcotic drugs, class of psychotropic substances, class of controlled substances or conveyances. which shall, as soon as may be after their seizure, be disposed of by such officer and in such manner as that Government may, from time to time, determine after following the procedure hereinafter specified.
- (2)Where any [narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances) has been seized and forwarded to the officer-in-charge of the nearest police station or to the officer empowered under Section 53, the officer referred to in sub-section (1) shall prepare on inventory of such lnarcotic drugs, psychotropic substances. controlled substances or conveyanceal containing such details relating to their description, quality, quantity, mode of packing, marks, numbers or such other identifying particulars of the 72

(narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances) or the packing in which they are packed, country of origin and other particulars as the officer referred to in sub-section (1) may consider relevant to the identity of the 73 (narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances] in any proceedings under this Act and make an application, to any Magistrate for the purpose of-

- (a) certifying the correctness of the inventory so prepared; or
- (b) taking, in the presence of such Magistrate, photographs of 74[such drugs, substances or conveyances) and certifying such photographs as true; or
- (c) allowing to draw representative samples of such drugs or substances, in the presence of such Magistrate and certifying the correctness of any list of samples so drawn.

It is also relevant to mention that the Hon'ble Apex Court in a very land mark judgment passed in the Criminal Appeal No. 3191 of 2023 (Arising out of SLP (Crl.) No. 3010 of 2023) in the case of Yusuf Vs. State has set aside the entire proceeding due to non compliance of Section 52 A as a result the proceedings so drawn under the NDPS Act are bound to be affected by the said legal proposition. It would be appropriate to issue necessary directions to the authorities/Investigating Agencies/Investigating Officers to comply strictly the provisions of the NDPS Act of Section 52 A so as to ensure that the guilty in the matters involved shall not go scottfree.

अतः उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि अपने-अपने जनपद के समस्त राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारीगण की एक कार्यशाला/गोष्ठी का आयोजन कराकर NDPS Act के मामलों में अधिनियम की धारा 52 ए विशेष रूप से उप धारा 52 ए (2) के सम्बन्ध में भली भाँति ब्रीफ कराकर अक्षरशः अनुपालन कराने का कष्ट करें । ताकि मा0 न्यायालय में असहज ्रिश्यति उत्पन्न न होने पाये।

संलग्नकः यथोपरि ।

पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

3- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ।

4- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र0

- 5- पुलिस अधीक्षक,विधि प्रकोष्ठ,मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या डीजी-

,₂ दस-विप्र0-रिट(मिस)/2024/1522 दिनांक 18.03.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

5- समस्त पुलिस उपाधीक्षक / यूनिट / थाना प्रभारी ए०एन०टी०एफ० उत्तर प्रदेश।

मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण/महत्वपूर्ण।

ख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर - 2 पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार लखनऊ पत्र संख्याः डीजी-दस-वि०प्र०-रिट-(मिस)/2024 / 1522 दिनांकः मार्च 18 ,2024 सेवा में.

पुलिस महानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, उ०प्र० लखनऊ ।

विषय:-

For ensuring strict Complince of Section 52-A(A) of Narcotics Drugs and Psychotropic Substanes Act, 1985 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया पत्र के साथ संलग्न शासकीय अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के पत्र दिनांक 15.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत करायाग या है कि N.D.P.S. Act के मामलों में अधिनियम की धारा 52ए विशेष रूप से उप धारा 52ए (2) का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण भारी मात्रा में वरामदगी होते हुये भी मामले उच्च न्यायालय में रद्द (Quasit) किये जा रहे है।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय ने अपने पत्र दिनांकित 15.03. 2024 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या-3191/2023 (सम्बन्धित एसएलपी क्रिमिनल संख्या-3010/2023 यूसुफ बनाम राज्य में पारित निर्देश का निम्नवत उल्लेख किया गया है।)

अतः निदेशानपुसार अनुरोध है कि N.D.P.S. की धारा 52 ए के अनुनपालन के सम्बन्ध में विद्वान शासकीय अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के पत्र दिनांक 15.03.2024 में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।


मुंहर्मचक्रभण्डपरिक्ता

पुलिस अधीक्षक, विधि प्रकोष्ठ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र0, लखनऊ ।

स्रितिक्रिपि- अपर पुलिस महानिदेशक अपराध , मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० को सादर सूचनार्थ ।

2024 -

। टारक फोर्स महानिदेशक



OFFICE OF THE GOVERNMENT ADVOCATE, HIGH COURT, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

o-mall/FAX (02 Page)

TOP PRIORITY/OUT TODAY

Letter No. 117/PS/GA/ LILES' Crl./2024 Dated 15.03.2024

To.

The Director General of Police, U.P. Lucknow.

Sub: For ensuring strict compliance of Section 52-A(2) of Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

Sir,

DIGCPIG

ADGIG.S.O.. DGP Hars HQ 15/03/2024

SPLY

D.I.G.(P.G.). DGP, HQ U.P., Lucknow 16/34024

पुलिस अधीक्षक (वि०प्र०) मुख्यालय प्रतिस महानिदेशक

्रेलखनऊ।

This is to bring in your knowledge that the cases being registered and investigated under Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the provisions of Section 52A specially sub clause 52A(2) are not being complied by the Investigating Officers. As a result due to non-compliance of the same the accused persons despite being involved serious offences of very high magnitude are not being enlarged on bail but the cases of said nature are also being quashed due to the said legal infirmity.

The Section 52 A of Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 for ready reference is being quoted here as under:

(1)Disposal of seized narcotic drugs and psychotropic substances. (1) The Central Government may, having regard to the hazardous nature, vulnerability to theft, substitution, constraint of proper storage space or any other relevant consideration, in respect of any narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances, by notification in the Official Gazette, specify such narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyance or class of narcotic drugs, class of psychotropic substances, class of controlled substances or conveyances, which shall, as soon as may be after their seizure, be disposed of by such officer and in such manner as that Government may, from time to time, determine after following the procedure hereinafter specified.

(2Where any [narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances] has been seized and forwarded to the officer-in-charge of the nearest police station or to the officer empowered under Section 53, the officer referred to in sub-section (1) shall prepare an inventory of such [narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances] containing such

details relating to their description, quality, quantity, mode of packing, marks, numbers or such other identifying particulars of the 72 (narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances] or the packing in which they are packed, country of origin and other particulars as the officer referred to in sub-section (1) may consider relevant to the identity of the 73 (narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances] in any proceedings under this Act and make an application, to any Magistrate for the purpose of-

(a) certifying the correctness of the inventory so prepared; or (b) taking, in the presence of such Magistrate, photographs of 74[such drugs, substances or conveyances] and certifying

such photographs as true; or

(c) allowing to draw representative samples of such drugs or substances, in the presence of such Magistrate and certifying the correctness of any list of samples so drawn.

It is also relevant to mention that the Hon'ble Apex Court in a very land mark judgment passed in the Criminal Appeal No. 3191 of 2023 (Arising out of SLP (Crl.) No. 3010 of 2023) in the case of Yusuf Vs. State has set-aside the entire proceeding due to non compliance of Section 52 A as a result the proceedings so drawn under the NDPS Act are bound to be affected by the said legal proposition. It would be appropriate to issue necessary directions to the authorities/Investigating Agencies/Investigating Officers to comply strictly the provisions of the NDPS Act of Section 52 A so as to ensure that the guilty in the matters involved not shall not go 7 scottfree. .

> (Dr. V. K. Singh) Government Advocate

405

ज्यालय पुलिस महानिदेशक , उत्तर प्र^{दे}

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक ,एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स तृतीय तल टावर-01, पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, लखनऊ-226002

पत्र संख्याः DG-VII-ANTF(DDC)/2023/158

दिनांक- जुलाई 04, 2023

 समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

 समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

4. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस , उत्तर प्रदेश।

कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें,जिसमें मादक पदार्थों के निस्तारण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इस विषय पर भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 802, भारत का राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3,उपखण्ड (i) में प्रकाशित दिनांक 23.12.2022 के द्वारा पूर्व मे निर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 36, भारत का राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3,उपखण्ड (i) में प्रकाशित दिनांक 16.01.2015 को निरित्त किया गया है। जिसके फलस्वरूप उपरोक्त पत्र को अवक्रमित करते हुए अधिसूचना संख्या 802 दिनांक-23.12.2022 द्वारा प्रवृत्त "नारकोटिक्स ड्रग्स और मनःप्रभावी पदार्थ (जब्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022" द्वारा लागू व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इन्डिया बनाम मोहन लाल व अन्य में दिये गये निर्णय के क्रम में मादक पदार्थ के अधिग्रहण, भण्डारण, निस्तारण/ विनष्टीकरण तथा न्यायिक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। मादक पदार्थों के निस्तारण की प्रक्रिया को मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है-

प्रथम- वे मामले जिनमें परीक्षण, कार्यवाही, अपील व रिवीजन की कार्यवाही दिनांक 29-05-1989 के पूर्व पूर्ण हो चुकी है, इनमें केन्द्र या राज्य की ड्रग डिस्पोजल कमेटी सभी अभिग्रहीत पदार्थों के स्टाक को बिना स्त्यापन, बिना परीक्षण व बिना सैम्पलिंग के उक्त मालों का निस्तारण (Disposal) करायेगी तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से डिस्पोजल किये जाने वाले मामलों का पर्यवेक्षण करेंगे।

द्वितीय- वे मामले जिनमें मई 1989 के बाद मादक पदार्थों का अभिग्रहण हुआ है और इनमें विचारण, अपील, रिवीजन की कार्यवाही अन्तिम रूप से पूरी हो चुकी है, तो ऐसे मालों को टेस्टिंग के लिए सैम्पल भेजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सम्बन्धित ड्रग डिस्पोजल कमेटी सभी स्वापक औषधियों व मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों अथवा वाहनों के सभी स्टाकों को विभागाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में नष्ट किया जा सकता है।

तृतीय- वे मामले जिनमें कार्यवाही , परीक्षण-न्यायालय, अपीलीय न्यायालय या मा॰ उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । ऐसे मामलों में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित- 16.01.2015 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों अथवा वाहनों का निस्तारण किया जाएगा।

अवगत कराना है कि वर्तमान में भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 802, भारत का राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3,उपखण्ड (i) में प्रकाशित दिनांक 23.12.2022 द्वारा "नारकोटिक्स ड्रग्स और मनःप्रभावी पदार्थ (जब्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022" लागू करते हुए पूर्व में निर्गत भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.01.2015 को निरसित किया गया है।

अतः इन स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों अथवा वाहनों का निस्तारण उक्त अधिसूचना दिनांक-23.12.2022 के अध्याय-IV, नियम-16 से 28 तक के अनुसार निम्नवत् किया

जाएगा:सभी मादक दवाओं, मनःप्रभावी पदार्थों, नियन्त्रित पदार्थों और वाहनों को जब्ती के बाद जितनी सभी मादक दवाओं, मनःप्रभावी पदार्थों, नियन्त्रित पदार्थों और वाहनों को जब्ती के बाद जितनी जल्दी हो सके, एनडीपीएस एक्ट की धारा 52 (क) के तहत निर्धारित तरीके से निस्तारित किया जायेगा। किसी थाने का कोई भी प्रभारी अधिकारी या इस अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकृत कोई भी अधिकारी रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस अधिनियम की धारा 52(क) के तहत मादक अधिकारी रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस अधिनियम की धारा 52(क) के तहत मादक दवाओं, मनःप्रभावी पदार्थों, नियन्त्रित पदार्थों और वाहनों के निस्तारण के लिए कार्यवाही शुरू करेगें।

निस्तारण की प्रक्रिया (Manner of disposal) —

(1) अधिनियम की धारा-53 के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी या यदि सामग्री को ऐसे अधिकारी द्वारा जब्त किया जाता है, तो वह अधिनियम की धारा- 52(क) की उप-धारा 3 के तहत आवेदन को जल्द से जल्द अनुमित देने के लिए अधिनियम की धारा-52(क) की उप-धारा 2 के तहत मजिस्ट्रेट को फार्म -5 में आवेदन करेंगे।

(2) मजिस्ट्रेट के द्वारा इस अधिनियम की धारा-52(क) की उप-धारा 3 के तहत आवेदन की अनुमित देने के बाद उप-नियम 1 में निर्दिष्ट अधिकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थित में प्रमाणित सूची, फोटोग्राफ और नमूने को संरक्षित करेंगे, ऐसे मामले के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में और जब्त की गयी सामग्री का विवरण ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष को निस्तारण पर समिति के द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करेंगे और उक्त अधिकारी जब्त सामग्री के साथ विवरण की एक प्रति मालखाना/गोदाम के प्रभारी अधिकारी को भी भेजेंगे।

ड्रग डिस्पोजल कमेटी (Drugs Disposal Committees)-

केन्द्रीय और राज्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेन्सी के विभाग प्रमुख 03 सदस्यों वाली एक या एक से अधिकं ड्रग डिस्पोजल कमेटी का गठन करे जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक या सीमा शुल्क और केन्द्रीय माल और सेवा कर के संयुक्त आयुक्त, राज्य खुफ़िया निदेशालय के संयुक्त निदेशक या समक्ष रैंक के अधिकारी से नीचे के रैंक के नहीं होंगे और ऐसे प्रत्येक समिति सीधे विभाग प्रमुख के लिए जिम्मेदार होगी।

ago 7 of 5

नोनी

त

in

11.

57

मादक पदार्थों के निस्तारण/ डिस्पोजल के सम्बन्ध में बैठक करेगी, जब्त पदार्थों के निपटान का विस्तृत समीक्षा करेगी, जब्त मदों के निस्तारण का आदेश देगी तथा पदार्थों के शीघ्र निस्तारण के लिए सम्बन्धित अन्वेषण अधिकारियों/पर्यवेक्षण अधिकारियों को सलाह देगी।

जब्त मदों के निस्तारण के सम्बन्ध में ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया-

(1)- गोदाम का प्रभारी अधिकारी अधिनियम की धारा 52(क) प्रमाणित सभी जब्त सामग्रियों की एक सूची तैयार करेगा और इसे सम्बन्धित ड्रग डिस्पोजल कमेटी को प्रस्तुत करेगा।

- (2)- उप-नियम 1 में निर्दिष्ट सूची की जाँच करने और इसे संतुष्ट होने के बाद कि अधिनियम की धारा 52 (क) का पूरी तरह से पालन किया गया है, सम्बन्धित ड्रग डिस्पोजल कमेटी की सदस्य इस आशय के आवश्यक प्रमाण-पत्र का समर्थन करेंगे और उसके बाद वह कमेटी जब्ती रिपोर्ट, रासयनिक विश्लेष्ण की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के संदर्भ में जब्त की गयी प्रत्येक सामग्री के वजन और अन्य विवरणों की भौतिक जाँच और सत्यापन करके प्रत्येक मामले में अपना निष्कर्ष दर्ज करेगी।
- (3)- पंचनामा में उल्लिखित इंजन संख्या, चेचिस संख्या और अन्य विवरणों को सत्यापित करेगी और उनकी सूची को प्रमाणित करेगी।

जब्त सामग्री के निस्तारण के लिए जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की शक्तियाँ-

ड्रग डिस्पोजल कमेटी जब्त सामग्री के निस्तारण का आदेश निम्न तालिका में दर्शाई गई मात्रा या मूल्य तक दे सकती है, अर्थात्-

तालिका

क्र0सं0	वस्तु (ड्रग) का नाम	मात्रा प्रति खेप		
1	हेरोइन	5 किग्रा0		
2	हशीश (चरस)	100 किया0		
3	हशीश तेल	20 किग्रा0		
4 .	गांजा	1000 किग्रा0		
5	कोकेन	2 किग्रा0		
6	मैं ड्रेक्स	3000 किया0		
7	पोस्त पुआल	10 मीट्रिक टन तक		
8	अन्य स्वापक औषधियाँ, मनःप्रभावी पदार्थ या प्रतिबन्धित पदार्थ	500 किलोग्राम या 500 लीटर की मात्रा तक		
9.	वाहन	50 लाख रु0 के मूल्य तक		

. परन्तु यदि खेप मात्रा में अधिक हो या तालिका में दर्शाए गए मूल्य से अधिक हो, तो ड्रग डिस्पोजल कमेटी अपनी सिफारिशें विभागाध्यक्ष को भेजेगी, जो विशेष रूप से इस सम्बन्ध में गठित उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा उनके निस्तारण का आदेश देगी।

Page 3 of 5

त

ITI.

57

नोनी

ं अतः निम्नानुसार जनपद/किमश्नरेट में वर्णित मात्रा / मूल्य के मादक पदार्थों के निस्तारण हेतु जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी तथा वर्णित मात्रा / मूल्य से अधिक मादक पादर्थों के निस्तारण हेतु परिक्षेत्र / किमश्नरेट में उच्चस्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी का गठन किया जाता है। जो मादक पदार्थों, स्वापक औषिधयों, मनःप्रभावी पदार्थों और प्रतिबन्धित पदार्थों तथा वाहनों के निस्तारण की प्रक्रिया का अनुपालन भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, भारत का राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3,उपखण्ड (i) में प्रकाशित दिनांक 23.12.2022 के सभी नियमों के अनुसार सुनिधित कोंगी -

. जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी-

- विरष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक –अध्यक्ष
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी- सदस्य
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी- सदस्य

कमिश्नरेट में जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी-

- 1- पुलिस आयुक्त द्वारा नामित पुलिस उपायुक्त- अध्यक्ष
- 2- पुलिस आयुक्त द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी- सदस्य
- 3- पुलिस आयुक्त द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी- सदस्य

परिक्षेत्र में उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी-

- 1- पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक –अध्यक्ष
- 2- पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी- सदस्य
- 3- पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी- सदस्य कमिश्ररेट में उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी-
- 1- पुलिस आयुक्त द्वारा नामित संयुक्त पुलिस आयुक्त /अपर पुलिस आयुक्त- अध्यक्ष
- 2- पुलिस आयुक्त द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी- सदस्य
- 3- पुलिस आयुक्त द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी- सदस्य

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कमेटी के सदस्यों को नामित करते हुए उनका विवरण तथा इस कमेटी के द्वारा मादक पदार्थों के निस्तारण / विनष्टीकरण की कार्यवाही की सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख को सर्वसम्बन्धित सहित एएनटीएफ मुख्यालय, उत्तर प्रदेश की ई-मेल आईडीig-antf.lu@up.gov.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यह पत्र पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है। संलग्नक:यथोपरि।

> (प्रशान्त कुमार) (प्रशान्त कुमार) विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

强 2/4

Page 4 of 5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- महानिदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, उ०प्र०।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ/ एटीएस ,उ०प्र०।
- 5- अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ०प्र०।
- 6- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक , उ०प्र०।
- 7- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ०प्र०।
- 8- पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, उ०प्र०।
- 9- जोनल डायरेक्टर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, महानगर, लखनऊ।



सुजखान सिंह, आई०पी०एस०



अर्द्धशा० परिपत्र संख्याःडीजी-🛂 🖊 2017 पुलिस महानिदेशक. उत्तर प्रदेश। 1- तिलक मार्ग,लखनऊ

दिनांक : लखनऊ :मई**२०** ,2017

विषय:- किमिनल अपील सं0-652/2012 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहनलाल व अन्य के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय / महोदया,

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन आफ् इण्डिया बनाम मोहन लाल व अन्य अपील सं0-652 / 2012 में दिनॉक 28-01-2016 को पारित अन्तरिम आदेश के कम में अनु सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र सं0-V-192/2017- सीएक्स-5 दिनॉकित 10-04-2017 के साथ प्राप्त मां0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय दिनॉक 28-01-2016 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हये अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्णय के कम में मादक पदार्थों के अधिग्रहण, भण्डारण, निस्तारण/विनिष्टीकरण तथा न्यायिक पर्यवेक्षण से संबंधित मुख्य बिन्द निम्नवत है:-

1-अधिग्रहण एवं नभूना एकत्रीकरण (seizure and sampling): अधिग्रहीत की गई (seized) रवापक औषधियों एवं साईकोट्रोपिक पदार्थों के निराकरण हेतु बरामदगी एवं नमूना एकत्रीकरण के संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा-52(क) में दिये गये प्राविधानों का पालून करते हुये मा० उच्चतम न्यायालय के <u>चिर्ण</u>य में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित <u>की जाये</u>। इस संबंध में अर्द्धशासकीय परिपत्र च्छा-डीजी-22/15 दिनॉकित 07-04-2015 द्वारा निर्देश-निर्गत क्ये थे, उसी के अनुरूप कार्यवाही अपेक्षित है।

2-अधिग्रहीत भादक पदार्थों का भण्डारण (storage of seized drugs): अधिग्रहीत की गयी एनडीवीएस एक्ट से संबंधित पदार्थों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के रांबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा-55 के साथ-साथ स्टैंण्डिंग आर्डर सं0-1/89 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये, जिसमें मादक पदार्थों को एक राजपत्रित अधिकारी के पर्यवेक्षण में safes and vaults with double locking system की सुरक्षित अभिरक्षा में रखना प्राविधानित है, जिससे अधिग्रहीत मादक पदार्थों के चोरी, क्षरण, एवं अदलाबदली होने (theft,pilferage or replacement of seized drugs) से बचा जा सके। भारत सरकार के स्टैण्डिंग आर्डर संख्या:01/89 के भाग-3 में अधिग्रहीत की गयी और परिदत्त की गयी वरतुओं का पुलिस द्वारा प्राप्त किया जाना (police to take charge of articles seized and deliverd) तथा मादक प्रदार्थों को भण्डारगृह (गोहालन) में रखने से सम्बन्धित है। उक्त से सम्बन्धित स्थायी आदेश सं0-1/89 के भाग-3 के प्रस्तर सं0 3.2 से 3.9 तक निर्देश दिये गये है।

भण्डारण हेतु (safe and vaults) वाद्धयकारी हैं, जव्त किये गये मादक पदार्थ को चोरी. प्रतिरधापन, या क्षरण से वचाने के लिए एक राजपत्रित अधिकारी के पूर्ण-पर्यवेक्षण में भण्डारण रहेगा जो पूरी सावधानी, एहतियातन एवं निकटता से पर्यवेक्षण रखेगा। निर्धारित भण्डारगृह (vaults safe and double locking system) को अन्य मालों के साथ रखा जाना उचित नहीं है। अतः स्थायी आदेश सं0−1/89 के भाग−3 में अंकित नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण से संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए, उक्त प्रयोजन हेतु सामान्य माल खाना रिजरटर से अलग एक विशेष रिजस्टर बनाया जाए, भण्डारण की व्यवस्था एवं अभिलेखों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता रहे।

मादवः पदार्थो की बरामदगी की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुथे प्रत्येक जनपद में या एक से अधिक जनपदों में, संयुक्त रूप से, सुरक्षित अण्डारण की समुचित व्यवस्था की जाये तथा इसकी व्यवस्था करने हेतु मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा ०६ माह का समय निर्धारित किया गया है।

50

गग.

57

लोनी

3-मादक पदार्थों का निस्तारण (Disposal of drugs): वर्तमान में थाने के मालखानों या अन्य गोदामों में रटोर किये गये अभिग्रहीत मादक पदार्थों का ड्रग डिस्पोजल कमेटी (DDC) द्वारा, उक्त निर्णय में, मादक पदार्थों के निस्तारण (Disposal of drugs) के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन करे। मादक पदार्थों के निस्तारण के संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों को तीन श्रेणियों में

विभक्त किया गया है। प्रथम- वे मामले जिनमें परीक्षण, कार्यवाही, अपील व रिवीजन की कार्यवाही दिनॉक 29-05-1989 के पूर्व पूर्ण हो चुकी है, इनमें केन्द्र या राज्य की ड्रगडिस्पोजल कमेटी सभी अभिग्रहीत पदार्थों के स्टाक को बिना सत्यापन, बिना परीक्षण व बिना सैम्पलिंग के उक्त मालों का निस्तारण (Disposal) करायेगा तथा

सम्बन्धित विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से डिस्पोजल किये जाने वाले मामलों को चिन्हित करेगा।

द्वितीय— वे मामले जिनमें मई 1989 के बाद मादक पदार्थों का अभिग्रहण हुआ है और इनमें विचारण, अपील, रिवीजन की कार्यवाही अन्तिम रूप से पूरी हो चुकी है, तो ऐसे मालों को टेरिंटग के लिए सैम्पल भेजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संबंधित ड्रग डिस्पोजल कमेटी सभी स्वापक औषधियों व मनःप्रभावी पदार्थी,

नियन्त्रिक पदार्थो अथवा वाहनों के सभी स्टाकों विभागाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में नष्ट किया जायेगा। तृतीय- वे मामले जिनमें कार्यवाही, परीक्षण-न्यायालय, अपीलीय न्यायालय या मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे मामलों में भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनॉकित 16 जनवरी 2015 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियन्त्रिक पदार्थों अथवा वाहनों का निस्तारण

मादक पदार्थों के निस्तारण हेतु भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनॉकित 16 जनवरी 2015 में दिये

गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

माठ उच्चतम ऱ्यायालय के निर्णय दिनॉक 28-01-2016 में मादक पदार्थों के अधिग्रहण, भण्डारण, निस्तारण / विनिष्टीकर्पेन्तथा न्यायिक पर्यवेक्षण से संबंधित निर्देशों के कम-में अपेक्षित कार्यवाही हेतु

आवश्यक विन्दुओं निर्देशों को संकलित कर परिपत्र के साथ संलग्न कियानजा=रहानी

मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनॉक 28-01-2016 की प्रति (समस्त संलैंडेंचकों सहित) इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भलीगाँति अध्ययन करें तथा निर्णय में अंकित निर्देशों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी, नारकोटिक्स, पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित करते हुये उसकी एक प्रति इस मुख्यालय को प्रेषित करने का कप्ट करें।

प्रकरण अति महत्व का है अत. आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। इसमें किसी भी प्रकार की

शिथिलता न हो।

संलग्नक-यथोपरि।

समरत वरिष्ट पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / राजकीय रेलवे पुलिस अनु०, उ०प्र०(नाम से) प्रतिलिपि :- श्री डी०एन०शर्मा, अपर सचिव एवं मु०स०अ०, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या-डी०ओ०नं०-एफएन-16011/7/2010-एनसी-1 दिनॉकित 07-02-2017 के सम्बन्ध में सूचनार्थ।

अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ०प्र०, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अपर पुलिस महानिदेशक, प्रभारी, एण्टी नारकोटिवस सेल अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग,

उ०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र० को सूचनार्थ एट 4-आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक, एस०टी०एफ०, उ०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। जोनल डायरेक्टर, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, लखनऊ, बी-912, सेक्टर-ए सी०आई०डी० कालोनी 5-महानगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

किमिनल अपील सं0-652/2012 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहनलाल व अन्य से सम्बन्धित प्रमुख बिन्द्

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन आफ् इण्डिया बनाम मोहन लाल व अन्य अपील सं0-652/2012 में दिनॉक 28-01-2016 को पारित अन्तरिम आदेश के कम में अनु सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र सं0-V-192/2017- सीएक्स-5 दिनॉकित 10-04-2017 के साथ प्राप्त मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय दिनॉक 28-01-2016 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्णय मादक पदार्थों के अधिग्रहण, भण्डारण, निरतारण/विनिष्टीकरण तथा न्यायिक पर्यवेक्षण से

1—अधिग्रहण एवं नमूना एकत्रीकरण (seizure and sampling): अधिग्रहीत की गई (seized) संबंधित है। मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :-स्वापक औषधियों एवं साईकोट्रोपिक पदार्थों के निराकरण हेतु बरामदगी एवं नमूना एकत्रीकरण के संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा-52(क) में दिये गये प्राविधानों का पालन करते हुये मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस संबंध में अर्द्धशासकीय परिपत्र सं0-डीजी-22/15 दिनॉकित 07-04-2015 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसे पुनः अंकित किया जा रहा है।

स्वापक मालों को सील करने की प्रक्रिया:-

- प्रत्येक मादक पदार्थ को अच्छी तरह से वर्गीकृत कर, उसकी सही तील व नमूना, जब्दी के
- सभी पैकेटों / कन्टेनरों को कमवार जान अंकित कर बण्डलों (लाटों) में नमूना लेने के लिए रखा जायेगा। बरामद स्वापक औषधि एक मनः प्रभावी पदार्थ से नमूना जब्दी स्थल पर, दो नमूने गवाहों की उपस्थिति में जिस व्यक्ति के कब्जे से बरामद हुआ है, के समक्ष ही लिया जायेगा और इस तथ्य को मौके पर तैयार की गयी फर्द बरामदगी में पूरी तरह उल्लेख किया
 - प्रत्येक नमूने की जो मात्रा रासायनिक परीक्षण हेतु ली जायेगी, वह सभी स्वापक औषधि एव मनः प्रभावी पदार्थों के प्रकरणों में 05 ग्राम से कम नहीं ली जायेगी, केवल अफीम, गाँजा और चरस (हशीश) के प्रकरणों को छोड़कर जहाँ यह मात्रा 24 ग्राम प्रत्येक बरामदगी र रासायनिक परीक्षण हेतु अपेक्षित होगी, दोनों नमूने की मात्रा समान होगी। सभी जब्त मादव पदार्थों के पैकेटों / कन्टेनरों से दो प्रतिनिधि नमूने लेने से पहले उसका भली प्रकार आपस इस प्रकार मिश्रण किया जायेगा कि वह आपस में घुल-मिल जायें।

रवापक मालों का सैम्पल (नमूना) लेने की प्रकिया:-

- (ए) अफीम-5 ग्राम। (वी) गांजा/चरस/हशीश-24 ग्राम।
- जब्ती एक पैकेट / कन्टेनर में होने की दशा में, दो नमूने लिये जायेगे। साधारणतया, र सलाह दी जाती है कि पैकेट/कन्टेनर एक से अधिक होने पर प्रत्येक पैकेट/कन्टेनर से
- यद्यपि, जब्त किये गये पैकेट्स/कन्टेनर्स समान वजन के हो, पहचान चिन्ह समान हो ? प्रत्येक की अन्तर्वस्तु की पहचान का परिणाम, नारकोटिक्स ड्रग्स डिटेक्शन किट से परीह पर, समान रंग का हो, सभी की निर्णायक पहचान सभी प्रकार से एकमृश्त एक समान हो, पैकेटों/कन्टेनरों को सावधानीपूर्वक 10 पैकेटों/कन्टेनरों के एक ढ़ेर में रखा जायेगा। ग



व चरस होने पर यह 40 पेकेटों / कन्टेनरों के एक ढेर में रखा जाएगा। इस प्रकार के प्रत्येक ढ़ेर से दो नमूने लिये जा सकते है।

- जहाँ इस प्रकार के ढेर बनाने के बाद चरस (हशीश) और गाँजा की रिथित में, 26 पैकेट / केन्टेनर से कम तथा, अन्य प्रकार के मादक पदार्थों की रिथित में 5 पैकेटों / कन्टेनरों से कम बच जाते है, तो इन्हें एक देर में रखने की आवश्यकता नहीं है और अन्य नमून. निकालने की आवश्यकता नहीं है।
- यदि इस प्रकार के ढ़ेर बनाने के बाद अन्य मादक पदार्थों के बचे हुए 5 या उससे अधिक तथा चरस (हशीश) और गॉजा की रिथित में 20 या उससे अधिक पैकेट/कन्टेनर बचते हैं, तो इस प्रकार बचे हुए पैकेट / कन्टेनर से दो नमूने लिये जा सकते है।
- जब इस विशिष्ट समूह से दो नमूने लिये जाए, तब यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक नमूना समान मात्रा में उस देर के सम्पूर्ण में से ही निकाला जाए।
- द्रोनों नमूने प्लास्टिक की थैली में रखकर उसे गर्म करके चिपका कर सुरक्षित रखा जाये। उस प्लास्टिक की थैली को कागज के लिफाफे में रखकर सही ढ़ग से सील्ड करना चाहिए। इस प्रकार के लिफाफे को मूल तथा द्वितीय नमूना चिन्हित किया जा सकता है। दोनों लिफाफों पर जिन पैकेटों / पैकेटों या कन्टेनरों / कन्टेनरों से नमूना लिया गया है, की कम संख्या अंकित की जायेगी। द्वितीय लिफाफे पर, जिसमें नमूना रखा गया है, पर भी उसके टेस्ट मेगो का संदर्भ अंकित किया जायेगा। मुहर पठनीय होनी चाहिए। उनरोक्त नमूने के लिफाफों को टेस्ट मेमो के साथ अन्य लिफाफे में डाल करके सील मुहर बन्द करना चाहिए तथा उसके ऊपर गोपनीय मादक पदार्थ नमूना/टेस्ट मेमो अंकित कर सम्बन्धित रासायनिक

क्यांग्राला को भेजना चाहिए। संगी राज्य प्रवर्तन शाखाओं द्वारा जब्त मादक पदार्थ के नमूने-को परीक्षण हेतु संबंधित विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक / उप निदेशक को भेजा जायेगा।

न्यायालय में आरोप पत्र/परिवाद के समय अपनायी जाने वाली प्रकिया:-

न्यायालय में एन०डी०पी०एस० एक्ट से सम्बन्धित प्रकरणों में आरोप पत्र/परिवाद दाखिल करते समय सभी जब्त वस्तुएं/पदार्थ के साथ मूल पंचनामा(सीजर रिपोर्ट) तथा विस्तृत अभिग्रहण सूची (इन्वेन्ट्री) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा अभिग्रहण सूची में वस्तु की पहचान तथा इससे सम्बन्धित समस्त विवरण अवश्य उल्लिखित हों उक्त दस्तावेजों के साथ ही बरामद पदार्थ की कैमिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट भी संलग्न की जानी आवश्यक है।

2—अधिग्रहीत मादक पदार्थों का भण्डारण (storage of seized drugs) अधिग्रहीत की गर्थ एनडीपीएस एक्ट से संबंधित पदार्थों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा-55 के साथ-साथ स्टैंण्डिंग आर्डर सं0-1/89 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये जिसमें मादक पदार्थों को एक राजपत्रित अधिकारी के पर्यवेक्षण में safes and vaults with double locking system की सुरक्षित अभिरक्षा में रखना प्रावधानित है, जिससे अधिग्रहीत मादक पदार्थों व चोरी, क्षरण, एवं अदलावदली होने (theft,pilferage or replacement of seized drugs) से बचा ज सके। भारत सरकार के रटैण्डिंग आर्डर संख्या:01/89 के भाग-3 में अधिग्रहीत की गयी और परिदत की गयी वस्तुओं का पुलिस द्वारा प्राप्त किया जाना (police to take charge of articles scized an deliverd) तथा मादक पदार्थों को भण्डारगृह (गोडाउन) में रखने से सम्बन्धित है। उक्त से सम्बन्धि रथायी आदेश सं0-1/89 के भाग-3 के प्रस्तर सं0 3.2 से 3.9 तक निम्नवत् है :-

3.2 All drugs invariably be stored in safes and vaults provide with double lockir system. Agencies of the Central and state Governments, may specifically, designate the godowns keeping in view their security angle, juxtaposition to court etc.

- 3.3 Such godowns, as a matter, of rule, shall be placed under the over-all supervision and charge of a Gazetted officer of the respective enforcement agency, who shall exercise utmost care, circumspection and personal supervision as far as possible. Each seizing officer shall deposit the drugs fully packed and seald in the godown within 48 hours of such seizure with a forwarding memo indicating NDPS crime no-as per crime and prosecution (C&P register) under the new law, name of the accused reference of test memo description of the drugs, total no.of packages/containers etc.
 - 3.4 The seizing officer, ofter obtaining and acknowledgement for such deposit in the format (Annexure-1) shall hand acknowledged over such to the investigation officer of the case along with the case dossiers further proceedings.
 - 3.5 The officer-in-charge of the godown, before accepting the deposit of drugs, shall ensure that the same are properly packed and sealed. He shall also arrange the packages/containers (case-wise and lot-wise) for quick retrieval etc.
 - 3.6 The godown-in-charge is required to maintain a register where in entries of receipt should be made as per format at annexure-11.
 - 3.7 It shall be incumbent upon the inspecting officers of the various departments mentioned at annexure 11 to make frequent visits to the godowns for ensuring adequate security and safety and for taking measures for timeky disposal of drugs. The inspecting officer should record their temarks/observation against Col. 15 of the Format at Annexure-11.
 - 3.8 The heads of the respective enforcement agencies (both Central and State Governments) may prescribe such periodical reports and returns, as they may deem fit moniter the safe receipt, deposit, storage, accounting and disposal of seized drugs.
 - 3.9 Since the early disposal of drugs assumes utmost consideration and importance, the enforcement agencies may obtain orders for pre-trial disposal of drugs and other articles enforcement agencies may obtain orders for pre-trial disposal of drugs and other articles (including conveyance, if any) by having recourse to the provisions of sub-section (2) of section 52A of the Act."

section 52A of the Act."

उपर्युक्त पैरा 3.2 से स्पष्ट है कि भण्डारण हेतु (safe and vaults) बाद्धयकारी है, जब्त किये गये मादक पदार्थ को चोरी, प्रतिस्थापन, या क्षरण से बचाने के लिए एक राजपत्रित अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में भण्डारण रहेगा जो पूरी सावधानी, एहितयातन एवं निकटता से पर्यवेक्षण रखेगा। निर्धारित भण्डारगृह (vaults safe and double locking system) को अन्य मालों के साथ रखा जाना उचित महीं है। अतः रथायी आदेश सं0–1/89 के भाग–3 में अंकित नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण से संबंधित नहीं है। अतः रथायी आदेश सं0–1/89 के भाग–3 में अंकित नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण से अलग निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए, उक्त प्रयोजन हेतु सामान्य माल खाना रजिस्टर से अलग एक विशेष रजिस्टर बनाया जाए, भण्डारण की व्यवस्था एवं अभिलेखों का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता रहे।

किया जाता रहे।

मादक पदार्थों की बरामदगी की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक जनपद में या एक रं अधिक जनपदों में, संयुक्त रूप से, सुरक्षित भण्डारण की समुचित व्यवस्था की जाये तथा इसकी व्यवस्था करने हेतु गा० उच्चतम न्यायालय द्वारा 06 माह का समय निर्धारित किया गया है।

3—गादक पदार्थों का निस्तारण (Disposal of drugs): वर्तमान में थाने के मालखानों या अन्यादामों में स्टोर किये गये अभिग्रहीत मादक पदार्थों का हुग डिस्पोजल कमेटी (DDC) द्वारा, उक्ष्योदामों में स्टोर किये गये अभिग्रहीत मादक पदार्थों का हुग डिस्पोजल कमेटी गये निर्देशों का पाल निर्णय में, मादक पदार्थों के निस्तारण (Disposal of drugs) के संबंध में दिये गये निर्देशों का पाल

करें। मादक पदार्थों के निस्तारण के संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों को तीन

प्रथम वे मामले जिनमें परीक्षण, कार्यवाही, अपील व रिवीजन की कार्यवाही दिनॉक 29-05-1989 के पूर्व पूर्ण हो चुकी है, इनमें केन्द्र या राज्य की ड्रगडिस्पोजल कमेटी सभी अभिग्रहीत पदार्थों के स्टाक को बिना सत्यापन, बिना परीक्षण व बिना सैम्पलिंग के उक्त मालों का निस्तारण (Disposal) करायेगा तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से डिस्पोजल किये जाने वाले मामलों को चिन्हित करेगा। द्वितीय- वे गामले जिनमें गई 1989 के बाद गांदक पदार्थों का अभिग्रहण हुआ है और इनमें विचारण, अपील, रिवीजन की कार्यवाही अन्तिम रूप से पूरी हो चुकी है, तो ऐसे मालों को टेरिंटम के लिए सैम्पल गेजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संबंधित इंग डिस्पोजल कमेटी सभी खापक औषधियों व मनःप्रभावी पदार्थो, नियन्त्रिक पदार्थो अथवा वाहनों के सभी स्टाकों विभागाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में नष्ट

तृतीय- वे मामले जिनमें कार्यवाही, परीक्षण-न्यायालय, अपीलीय न्यायालय या मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे मामलों में भारत सरकार के जोटिफिकेशन दिनॉकित 16 जनवरी 2015 में किया जायेगां। दिये गये प्राविधानों के अनुसार स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियन्त्रिक पदार्थों अथवा वाहनों का निस्तारण किया जायेगा।

भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनॉकित 16 जनवरी 2015 में दिये गये प्राविधान इस प्रकार

常:一

सभी खापक औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों, नियन्त्रित और वाहनों का निस्तारण एनडीपीएस

= अधिकारी जो निस्तारण की कार्रवाई शुरू करेगें—Qfficers who shall initiate action for

किसी थाने का प्रभारी कोई अधिकारी या एनडीपीएस एक्ट की धारा 53 के अधीन अधिकार प्राप्त कोई अधिकारी उक्त पदार्थों का निस्तारण कर सकता है।

जहाँ किसी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ, नियत्रित पदार्थो अथवा वाहन को जब्त निस्तारण की प्रकिया (Manner of disposal):-किया गया है और निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी या धारा-53 के अधीन अधिकार प्राप्त अधिकारी को भेजा गया है या इसे किसी ऐसे अधिकारी ने स्वयं जब्त किया है तो उक्त पदार्थों की सूची तैयार करेगा और जब्त किये गये पदार्थों की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर किसी मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा। मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन को अनुज्ञात करने के पश्चात् संबंधित अधिकारी, सत्यापित सूची, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति हे लिये गये फोटोग्राफ और नमूनों को मामले के प्राथमिक साक्ष्य के लिए संभालकर रखेगा तथ औषधि प्रेषणों के व्योरो, ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष को व्ययन के संबंध में समिति द्वार विनिष्यय के लिए प्रस्तुत करेगा और उक्त अधिकारी गोदाम के प्रभारी अधिकारी को जब्त व गयी औषधि सहित व्योरों की एक प्रति भेजेगा।

औषधि निरतारण समिति (Drugs Disposal Committees)-

• केन्द्रीय और राज्य औषधि विधि प्रवर्तन अधिकरण के प्रत्येक विभाग का विभागाध्यक्ष एक : अधिक औषधि व्ययन समितियों (DDC) का गठन करेगा, जिसमें प्रत्येक में 03 सदस्य हो ऐसी प्रत्येक समिति का अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक के रैंक के अधिकारी, केन्द्रीय सीमा शुल और उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त, राजरव आसूचना निदेशालय के संयुक्त निदेशक समतुल्य रैंक से कम रैंक का नहीं होगा अथवा इनके समतुल्य रैंक का होगा और प्रत्येक ऐ समिति प्रत्यक्ष रूप से विभागाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगी।

ड्रग डिस्पोजल कमेटी पदार्थी के व्ययन के संबंध में बैठके करेगीं, जब्त पदार्थी के लिम्बत निपटान का पुनर्विलोपन करेगीं, जब्त मदों के निस्तारण का आदेश देगी तथा पदार्थों के शीघ निस्तारण के लिए संबंधित अन्वेषण अधिकारियों / पर्यवेक्षण अधिकारियों को सलाह देगी। जब्त मदों के निस्तारण के संबंध में DDC द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रकिया (Procedure to be followed by the DDC With Rgard to disposal of seized items):-गोदाम का प्रभारी अधिकारी उन सभी जब्त मदों की सूची तैयार करेगा जो धारा 52(क) के अधीन प्रमाणित कर दी गयी है और संबद्ध निस्तारण समिति के अध्यक्ष की उसे प्रस्तुत करेगा सन्दर्भित सूची की जॉच पड़ताल करने के पश्चात् ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सदस्य इस आशय का एक आवश्यक प्रमाण पत्र पृष्ठॉकित करेगें और समिति तत्पश्चात् जब्त किये जाने की रिपोर्ट, रासायनिक विष्लेशण की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के सन्दर्भ में जब्त की गयी प्रत्येक मद का भार और अन्य वास्तविक परीक्षा और सत्यापन करेगी और प्रत्येक मामले में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी।

जब्त की गई मदों के निस्तारण के लिए DDC की शक्तियाँ (Power of DDC for disposal

ड्रग डिस्पोजल कमेटी नीचे सारणी में दर्शित मात्राओं या मूल्यों तक जब्त की गयी मदों के निस्तारण के लिए आदेश कर सकेगी।

सारणी

· ·	(2)	(3)
1) -	औषधि का नाम	प्रतिखेपं, मात्रा
₩ 0 H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 H 0	हेरोइन	. 5-किलोगाम.
TOTAL TOTAL STATE OF THE STATE	हिशश (चरस)	100 किलोग्राम
2	हशिश तेल	20 किलोग्राम
3	गॉजा	1000 किलोग्राम
4	कोकेन	२ किलोग्राम
5	मेंड्रैक्स	3000 किलोग्राम
6	पोरत तृण	10 मीट्रिकटन तक
7	अन्य स्वापक औषधि	
8	मनःप्रभावी पदार्थ, नियनि पदार्थ अथवा वाहन	न्त्रत तक

परन्तु यह कि यदि खेप सारणी एक में उपदर्शित मात्रा से बड़े या मूल्य से अधिक के है तो ड्रग डिस्पोजल कमेटी अपनी सिफारिशें विभागाध्यक्ष को भेजेगीं जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गठित- किसी उच्च रतरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा उनके निस्तारण के लिए आदेश कर सकेगा।

औषधियों के निस्तारण की प्रकिया (Mode of disposal of drugs)-

अफीम, मारफीन, कोडीन और थिबैन (Thebaine) का निस्तारण, कारखाना नियन्त्रक के अधीन कार्यरत सरकारी अफीम और अल्कलाइड संकर्म को अंतरित करके किया जायेगा। अफीम मारफीन, कोडीन व थिवैन से भिन्न औषिधयों की दशा में मुख्य कारखाना नियन्त्रक कं निस्तारण के लिए तैयार जब्त मदों के ब्योरे उपलब्ध त्वरित संसूचना साधनों द्वारा सूचित किया जायेगा, गुख्य कारखाना नियन्त्रक संसूचना प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अन्द उक्त पदार्थों की मात्रा यदि कोई हो जो उसके द्वारा एनडीपीएस रूल्स 1985 के निय 67(ख) के अधीन नमूने के रूप में प्रदाय के लिए अपेक्षित हो, उपदर्शित करेगा उक्त पदार्थी की ऐसी मात्रा जो मुख्य कारखाना नियन्त्रक द्वारा अपेक्षित हो उसे अन्तरित की जायेगी और उक्त पदार्थों की शेष मात्रा का निस्तारण नियमानुसार किया जायेगा।

रवापक औषधियाँ, मनःप्रभावी पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ और वाहन जिनका कानूनी, चिकित्सीय अथवा औद्योगिक प्रयोग है का निस्तारण निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा। (क)रवापक औषधियाँ, मनःप्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ जो कि सूत्रण (फार्म्यूलेशन) के रूप में है तथा जिन पर औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार लेवल लगाया गया है, उनकी बिकी, लेवल में उल्लिखित लाइसेंस प्राप्त निर्माता में संघटन (काग्पिजशन) और सूत्रण (फार्म्यूलेशन) की पुष्टि किए जाने के पश्चात् औषधि निस्तारण समिति द्वारा यथा निर्धारित संविदा अथवा बोली अथवा किसी अन्य तरीके रो, ऐस व्यक्ति को की जाए जो औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और रवापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) और इसके अन्तर्गत बनाए नियमों और आदेशों की अपेक्षाएं पूरी करता हो, बशर्ते कि ऐसी विकी के समय जब्त किए गए सूत्रण (फार्म्यूलेशन) के उपयोग की न्यूनतम 60 प्रतिशत अवधि

(ख) बिना समुचित लेवल की स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ तथा फार्म्यूलेशन के रूप में

जब्त किए गए नियंत्रित पदार्थों को नष्ट कर दिया जाएगा। (ग) थोक के जब्त किए गए स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ तथा नियंत्रित पदार्थों को जो औषधि तथा प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) तथा रवापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 क्री-61) तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा आदेशों-के अन्तर्गत औषधि तथा प्रसाधन सिंधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अन्तर्गत तथा= उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाली अपेक्षाओं को पूरा करने पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जब्त पदार्थों के चिकित्सीय उददेश्य हेतु उनके मानक रूप की संपुष्टि के पश्चात् किसी ऐसे व्यक्ति को संविदा अथवा नीलामी अथवा किसी ऐसे विधि से वेचे जा सकते है, जिन्हें औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(घ) ऐसे नियंत्रित पदार्थ जिनका विधि संबत औद्योगिक उपयोग है, को औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किए अनुसार किसी ऐस व्यक्ति को जो स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा आदेशों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो संविदा अथवा नीलामी अथवा अन्य किसी विधि के द्वारा बेचे

(ड.) जब्त किए गए वाहनों को औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किए अनुसार संविदा जा सकते है। अथवा नीलागी के माध्यम से बेचा जा सकता है।

ऐसी रवापक ओषधियों मनःप्रभावी पदार्थों तथा नियंत्रित पदार्थों जिनका कोई विधि संवत चिकित्सीय अथवा औद्योगिक उपयोग-नहीं हो अथवा जब्त मदों की ऐसी मात्रा जो उपर्युक्त प्रयोग हेतु समुचित नहीं हो अथवा जिसे बेचा नहीं जा सकता हो, नष्ट कर दी जाएगी।

उपर्युक्त के कम में विनिष्टीकरण की अपेक्षित कार्यवाही प्रदूषण बोर्ड के मानकों की पूर्ति करने

वाले भरगीकरण केन्द्र (Incineration centre) पर ही की जाये।

विनिष्टीकरण के संबंध में विभागाध्यक्ष को सूचना (Intimation of head of department or

ड्रग डिस्पोजल कमेटी विभागाध्यक्ष को नष्टकरण के कार्यक्रम के संबंध में अग्रिम में कम र कम पन्द्रह दिन पहले सूचित करेगी ताकि ठीक समझे जाने पर वह स्वयं औचक निरीक्षण क destruction)-सके या अपने किसी अधिकारी को ऐसे औचक निरीक्षण करने लिए प्रतिनियुक्त कर सके प्रत्येक नष्टकरण संकिया के पश्चात् औषधि व्ययन समिति विभागाध्यक्ष को नष्टकरण के ब्यौरे देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

नष्टकरण का प्रमाण पत्र (Certificate of destruction)-

सभी सुसंगत आंकड़े जैसे गोदाम, प्रविष्टि संख्यांक, अभिग्रहण की गई औषधियों की सकल और शुद्ध भार आदि अन्तर्विष्ट करते हुए नष्टकरण का एक प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में) तैयार किया जाएगा और उपवंध 3 वा रूपविधान के अनुसार औषधि निस्तारण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हरताक्षरित किया जाएगा। मूल प्रति इस आशय की आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के पश्चात् गोदाम रजिस्टर में चिपकाई जाएगी, दूसरी प्रति अभिग्रहण मामला फाइल में रखी जाएगी और तीसरी प्रति औषधि निस्तारण समिति द्वारा रखी जाएगी।

गोदामपंजी में विकी के विवरण की प्रविष्टि (Details of sale to be entered in godown register)-जब भी रवापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ अथवा वाहन की संविदा अथवा नीलामी अथवा औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य विधि से बिकी की जाती है तो गोदाम पंजी में ऐसी बिकी के विवरण को दर्शाने वाली उपयुक्त प्रविष्टि की जाए।

स्वापक नियन्त्रण ब्यूरो को सूचित करना (Communication to NCB):-

रवापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों नियंत्रित पदार्थों तथा वाहनों के निपटान का विवरण एक मासिक रिपोर्ट में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को सूचित किया जाएगा।

उपबंध-1

अभिग्रहण किए गए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों नियंत्रित पदार्थों तथा वाहनों की सूची [स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की घारा 52क(2) के अधीन]

**	सूची [स्वापक औषधि और मनःप्रमावा पदाव जावार र
ATP	
1440	अभिग्रहण करने वाला अभिकरण
- 411	अभिग्रहण अधिकारी
	अभिग्रहण की तारीख
	अभिग्रहण का स्थान अस सूची को तैयार करने वाले अधिकारी का नाम और सारणी
	अस सूची को तैयार करने वाल जायपार सारणी

क्र०सं०	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ/	कवालिटी	परिणाम	सारणी पैकिंग का ढंग	चिह्नन और अंक	औषधि या पैकिंग की अन्य पहचान कराने वाली विशिष्टियाँ	उदभूत का देश	टिप्पणियां
(1)	पदार्थ / - वाहन (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

अधिकारी का हरताक्षर, नाम और पदना

रवापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क(3) के अधीन मजिस्ट्रट

उपरोवत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 52क की उपधारा (2) के अधीन उपरोक्त सूची सत्यापन के लिए आवेदन किया है और उस धारा की उपधारा (3) यह अपेक्षा करती है । कोई मजिरट्रेट जिसको आवेदन किया गया है, यथाशीघ्र इस आवेदन को अनुज्ञात करे, र प्रत्येक नष्टकरण संकिया के पश्चात् औषधि व्ययन समिति विभागाध्यक्ष को नष्टकरण के ब्यौरे देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

नष्टकरण का प्रमाण पत्र (Certificate of destruction)-

सभी सुसंगत आंकड़े जैसे गोदाम, प्रविष्टि संख्यांक, अभिग्रहण की गई औषधियों की सकल और शुद्ध भार आदि अन्तर्विष्ट करते हुए नष्टकरण का एक प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में) तैयार किया जाएगा और उपवंध 3 वा रूपविधान के अनुसार औषधि निस्तारण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। मूल प्रति इस आशय की आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के पश्चात् गोदाम रजिस्टर में चिपकाई जाएगी, दूसरी प्रति अभिग्रहण मामला फाइल में रखी जाएगी और तीसरी प्रति औषि। निस्तारण समिति द्वारा रखी जाएगी।

गोदामपंजी में विकी के विवरण की प्रविष्टि (Details of sale to be entered in godown register)-जब भी रवापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ अथवा वाहन की संविदा अथवा नीलामी अथवा औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य विधि से विकी की जाती है तो गोदाम पंजी में ऐसी विकी के विवरण को दर्शाने वाली उपयुक्त प्रविष्टि की जाए।

स्वापक नियन्त्रण ब्यूरो को सूचित करना (Communication to NCB)-

रवापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों नियंत्रित पदार्थीं तथा वाहनों के निपटान का विवरण एक मासिक रिपोर्ट में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को सूचित किया जाएगा।

अभिग्रहण किए गए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों नियंत्रित पदार्थों तथा वाहनों की सूची [स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की घारा 52क(2) के अधीन]

सूची [स्वापक औषधि आर मनःप्रभावा	
क्लिमहण करने वाला आमकरण	150
अधिकारा	
किन्ना की तारीख	
अभिग्रहण का स्थानअभिग्रहण का तथान अधिकारी	का नाम और
अस सुची को तैयार करने वाल आवयगरा	सारणी

अस र	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ/	कवालिटी	परिणाम	सारणी वैकिंग का ढंग	चिह्नन और अंक	औषधि या पैकिंग की अन्य पहचान कराने वाली विशिष्टियाँ	का देश	टिप्पणियां
(1)	नियंत्रित पदार्थ / वाहन (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) और पदना

अधिकारी का हरताक्षर, नाम और पदना

रवापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क(3) के अधीन मजिरट्रट

उपरोवत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 52क की उपधारा (2) के अधीन उपरोक्त सूची सत्यापन के लिए आवेदन किया है और उस धारा की उपधारा (3) यह अपेक्षा करती है ! कोई मजिस्ट्रेट जिसको आवेदन किया गया है, यथाशीघ्र इस आवेदन को अनुज्ञात करे, र यह समाधान हो गया है कि उपरोक्त सूची अभिग्रहण दस्तावेज और मेरे समक्ष प्रस्तुत मामले से संबंधित अभिग्रहीत सामान के प्रेषण के अनुसार है, उपरोक्त सूची की शुद्धता प्रमाणित की जाती है।

मजिस्ट्रेट के हरताक्षर, नाम और पदनाम

उपबन्ध-2

रवापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क (2) के अधीन अभिग्रहण किए गए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियंत्रित पदार्थ तथा वाहनों के

(थाने के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के अधीन कोई सशक्त अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में निस्तारण के लिए आवेदन स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ है, द्वारा किया जाने वाला आवेदन) सेवा में.

विद्वान मजिस्ट्रेट

विषय:- सूची फोटोग्राफ, और अभिग्रहण स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ महोदय,

नियंत्रित पदार्थ तथा वाहनों के नुमूने की शुद्धता के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन। सभी स्तापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियंत्रित पदार्थ तथा वाहनों, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 52क की उपधारा (2) के अधीन चोरी के लिए भेदता के रूप में पहचान-किए नए हैं और उनकी अधिसूचना सं०.....तारीख द्वारा उनका प्रतिस्थापन किया

धारा 52क (2) के अधीन अपेक्षा के अनुसार, में अभिग्रहण किए गए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ की संलग्न सूची प्रस्तुत करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि

(ख) अपनी उपरिथिति में, सूची की औषिधयों और पदार्थी के फोटो लेने की अनुज्ञा दें (क) सूची की शुद्धता को प्रमाणित करें। और यह प्रमाणित करें कि ऐसे फोटो सत्य है, और

(ग) आपकी उपरिथिति में प्रतिनिधि नमूनों को निकालने की अनुज्ञा दें और इस प्रकार

निकाले गए नमूनों की सूची की शुद्धता प्रमाणित करें। मैं आपसे स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52 क की उपधारा (3) के अधीन इस आवेदन को अनुज्ञात करने का निवेदन करता हूँ जिससे अभिग्रहण किए गए औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ तथा/अथवा वाहनों को धारा 52क (1) के अनुसार उसके पश्चात् धारा 52क (4) के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रमाण पत्र, फोटो, और नमूनों को प्रतिधारित करते हुए निस्तारित किए जा सके।

अधिकारी का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

तारीखः

रवापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क(3) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्र


में रवापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की घार 52क की उपधा (3) के अधीन उपरोक्त आवेदन को अनुज्ञात करता हूँ और संलग्न सूची संलग फोटोग्राफों और मेरी उपरिथति में लिए गए नमूनों की सूची की सत्यता को प्रमाणि करता हूँ।

उपवंघ-3


यह प्रमाणित किया जाता है कि रवापक औषधि और/या मनःप्रभावी और नियंत्रित पदार्थ हमारी उपरिथति में नष्ट किए गए।

- 1. मामला संख्याः
- 2. रवापक औषधि / मनःप्रभावी पदार्थ / नियंत्रित पदार्थः
- 3. अभिग्रहण करने वाला अभिकरणः
- 4. अभिग्रहण अधिकारीः
- 5. अभिग्रहण की तारीखः
- 6. अभिग्रहण का स्थानः
- 7. गोदाम प्रविष्टि संख्याः
- 8. अभिग्रहण की गई औषधि का सकल भारः
- नष्ट की गई रवापक औषधि और/या मनःप्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ का शुद्ध भार (नमूना इत्यादि लेने के पश्चात्)ः

औषधि व्ययन समिति के अध्यक्ष / सदस्य के हस्ताक्षर नाम और पदनाम



- 1- मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनिय<u>न</u> आफ् इण्डिया बनाम मोहन लाल व अन्य अपील सं0-652/2012 में दिनॉक 28-01-2016 को पारित अन्तरिम आदेश।
- 2- स्टैण्डिंग आर्डर संख्या-1/89
- 3- नोटिफिकेशन दिनॉकित 10-05-2007
- 4- नोटिफिकेशन दिनॉकित 16-01-2015
- 5- एन०डी०पी०एस० एक्ट-1985



The Gazette of India

सी.जी.-डी.एत.-अ.-23122022-241357 CG-DL-E-23122022-241357

वसाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 802] No. 802] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2022/पौप 2, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2022/ PAUSA 2, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिमम्बर, 2022

सा.का.नि. 899 (अ).— केंद्र सरकार स्वापक औपधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के तहत, धारा 52क के साथ पठित, धारा 76; द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:-

अध्याय 1

प्रारंभन

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभन - (1) इन नियमों को नारकोटिक ड्रग्स एंड माइकोट्रोपिक सब्सटेंस (जब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 कहा जा सकता है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।



- 2. परिभाषाएँ (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" का अर्थ है स्वापक औपधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61);
 - (ख) "कंटेनर" का अर्थ है कोई पोर्टेबल पात्र जिसमें आयाजाही की सुविधा के लिए मादक दवाओं, मनःप्रभावी पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों को रखा जाता है:
 - (ग) "फॉर्म" का मतलब इन नियमों से जुड़े फॉर्म हैं:
 - (घ) "मजिस्ट्रेट" का अर्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट है;
 - (ङ) "पैकेज" का अर्थ है स्वापक औषधियां, मन:प्रभाषी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ जो कागज या डिज्ये में ढंके होते हैं।
- (2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

अध्याय II

जब्त सामग्री की जब्ती और भंडारण

- 3. जब्त सामग्री का वर्गीकरण —(1) इस अधिनियम के तहत जब्त की गई मादक दवाओं, मन:प्रभावी पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों को भौतिक गुणों और ड्रग डिटेक्शन किट के परिणामों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, यदि कोई हो, और अलग से तौला जाएगा।
- (2) यदि मादक द्रव्य, मन:प्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ पैकेज या कंटेनरों में पाए जाते हैं, तो पहचान के प्रयोजन के लिए ऐसे पैकेजों और कंटेनरों को अलग-अलग तौला जाएगा और क्रमानुसार संख्यांकित किया जाएगा।
- (3) खुले रूप में पाई जाने वाली सभी स्वापक औषधियां, मनःप्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ टैम्पर प्रूफ वैग या कंटेनर में पैक किए जाएंगे, जिन पर क्रमानुसार संख्यांकित और वजन किया जाएगा और उन पर दवाओं का विवरण और इस तरह के वैग या कंटेनर पर जब्ती की तारीख का भी उल्लेख किया जाएगा:

वशर्ते कि भारी मात्रा में गांजा, पोस्ता भूसा वोरियों में पैक किया जा सकता है और इस तरह में सील किया जा सकता है इस प्रकार निम्न के साथ छेड-छाड नहीं किया जा सकता है:

वशर्तें आगे कि जब्त की गई छुपाने वाली सामग्री जैसे ट्रॉली वैंग, वैकपैक और अन्य जब्त वस्तुओं को अलग में सील किया जाएगा।

- (4) इस उपनियम में निर्दिष्ट वर्गीकरण, तोल, पैकेजिंग और संख्यांकन साक्षियों (पंचों) और उस व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाएगा जिसके कब्जे से नशीले पदार्थ और पदार्थ बरामद किए गए थे और जब्ती की जगह पर बने पंचनामे में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
- (5) पैकेजों, कंटेनरों, वाहनों और अन्य जब्त वस्तुओं की विस्तृत सूची तैयार की जाएगी और पंचनामा के साथ संलग्न की जाएगी।
- 4. गोदामों का पदनाम—(1) इस अधिनियम के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों, मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों, वाहन और अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए गोदामों को नामित किया जाएगा, -
 - (क) केंद्र सरकार के विभाग और एजेंसियां जिनके अधिकारियों को इस अधिनियम की धारा 53 के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं;
 - (ख) राज्य पुलिस और राज्य सरकार के विभाग और एजेंसियां जिनके अधिकारियों को अधिनियम की धारा 53 के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट गोदामों की पहचान गुरक्षा पहलू और कानून की तुलना को ध्यान में रखते हुए की अधिकारी के अधीन रखा जाएगा।
- 5. गोदामों में जमा (1) नियम 3 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सभी जब्त सामग्री, अधिनियम के तहत जब्ती के बाद जब्ती अधिकारी द्वारा नियम 4 के तहत नामित निकटतम गोदाम में फॉर्म-1 में एक अग्रेपण जापन के साथ जब्नी के समय में अड़तालीस घंटे के भीतर जमा की जाएगी:

वशर्ते कि अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (3) के तहत जब्त की गई गामग्री को जिस अधिकारी को अग्रेपित किया गया है, उसके द्वारा उचित औचित्य प्रदान करने के बाद उक्त समय अयिध में और चौबीस घंटे की छूट दी जा सकती है।

- (2) गोदाम का प्रभारी अधिकारी फॉर्म-2 में रसीद की पायती देने से पूर्व स्थयं को संतुष्ट करेगा कि जब्ज़ की गई सामग्री उचित रूप से पैक, सीलबंद और फॉर्म-1 में वर्णित वियरण के अनुरूप है।
- (3) अधिकारी, जिसने सामग्री को जब्त किया था, आगे की कार्यवाही के लिए जांच अधिकारी की जर्जी में संबंधित अन्य सभी दस्तावेजों के साथ जब्त सामग्री की प्राप्ति की पावती फॉर्म-2 में सींपेगा।
- 6. जब्त सामग्री का गोदाम में मंडारण (1) जब्त सामग्री की प्राप्ति के बाद, गोदाम के प्रभारी अधिकारी यह मुनिश्चित करेंगे कि जब्त सामग्री को त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए मामले के अनुसार ठीक से व्यवस्थित किया गया है।
 - (2) गोदाम का प्रभारी अधिकारी फॉर्म-3 में गोदाम में प्राप्त सामग्री का एक रजिस्टर का रख-रखाव करेगा।
- (3) सभी जब्त सामग्री, वाहनों को छोड़कर, डबल लॉक के साथ तिजोरियों और वाल्टॉ में संग्रहित की जाएगी।

 7. गोदाम का निरीक्षण (1) नियम 4 में निर्दिष्ट विभाग तथा एजेंसियां और राज्य पुलिस प्रत्येक गोदाम के लिए एक निरीक्षण अधिकारी नामित करेगी, जो गोदाम के प्रभारी अधिकारी के पद से ऊपर होगा।
- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण अधिकारी प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार गोदाम का आवधिक निरीक्षण करेगा एवं जब्त सामग्री की सुरक्षा, संरक्षा एवं शीघ्र निपटान के संबंध में फॉर्म-3 में गोदाम रजिस्टर में अपनी अभ्युक्ति दर्ज करेगा।
- (3) नियम 4 में निर्दिष्ट विभाग और एजेंसियां और इस अधिनियम के तहत राज्य पुलिस जब्त सामग्री की सुरक्षित प्राप्ति, जमा, भंडारण, लेखा और निपटान की निगरानी के लिए आवधिक रिपोर्ट और रिटर्न बनाए रखेंगे।

अध्याय ॥

नमूना

- 8. मिजिस्ट्रेट को आवेदन इस अधिनियम के तहत जब्त की गई सामग्री को निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या इस अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी को भेजे जाने के बाद या यदि इसे ऐसे अधिकारी द्वारा स्वयं जब्त किया जाता है, तो वह फार्म -4 में ऐसी मालों की एक सूची तैयार करेगा, अधिनियम की धारा 52क की उप धारा (2) के अधीन फॉर्म-5 में यथाशीघ्र मिजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा।
- 9. मिजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूने लिए जाएंगे इस अधिनियम की धारा 52क की उप-धारा (2) के तहत मिजिस्ट्रेट को आवेदन किए जाने के वाद, जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जब्त सामग्री के नमूने मिजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए गए हैं और उक्त-उप-धारा के प्रावधानों के अनुसार इसे मिजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया जाता है।——
- 10. नमूने लेना (1) जब्त किए गए प्रत्येक पैकेज और कंटेनर से दो प्रतियों में एक नमूना लिया जाएगा।

(2) जब जब्त किए गए पैकेज और कंटेनर एक साथ समान आकार और यजन वाले समान अंकन के होते हैं और प्रत्येक पैकेज की सामग्री हुग पहचान किट द्वारा रंग परीक्षण पर समान परिणाम देती है, यह दर्शाता है कि पैकेज सभी प्रत्येक पैकेज की सामग्री हुग पहचान किट द्वारा रंग परीक्षण पर समान परिणाम देती है, यह दर्शाता है कि पैकेज सभी प्रकार से समान हैं, पैकेज और कंटेनर दस पैकेज या कंटेनर से अधिक के केरों में मात्रधानी से बंच किए जा सकते हैं, और ऐसे प्रत्येक पैकेज और कंटेनर के लिए, दो प्रतियों में एक समूना लिया जाएगा:

बशर्ते कि गांजा, <u>पोस्त पुआल और हशीश (</u>घरम) के मामले में इसे घालीस से अधिक पैकेज सा कंटेनसे में नहीं रखा जा सकता है।

- (3) किसी विशेष साँट से तमूता सेने के सामले में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस साँट के प्रत्येक पैकेज या कंटेनर से समान मात्रा में प्रतिनिधारमक तमूना लिया जाता है और एक साथ गिथित करके एक समग्र मिश्रण बनाया जाता है जिससे उस लॉट के लिए तमूने लिए जाते हैं। —
- 11. नमूने के सिए निकासी जाने वासी मात्रा (1) अफीम, गांजा और चरस (हशीश) के मामर्ती की छोड़कर, जहां प्रत्येक नमूने के लिए क्म से कम चौबीस ग्राम की मात्रा निकासी जाएगी, अन्य सभी मामर्ती में प्रत्येक तमूने के लिए कम से कम पांच ग्राम की मात्रा निकासी जाएगी और हुप्सीकेट सैंगस के लिए उतनी ही मात्रा सी जाएगी।
- (2) दो प्रतियों में नमूना लेने से पहले पैकेजों या कंटेनरों में अभिगृहीत पदार्थों को सजातीय और प्रतिनिधात्मक बनाने के लिए अच्छी तरह मिश्रित किया जाएगा।
- (3) यदि जन्त की गई मात्रा नमूना सेने के लिए आवश्यक मात्रा से कुमू है, तो जन्त की गई पूरी मात्रा फेर्जा जा सकती है।
- 12. नमूनों का भंडारण (1) प्रत्येक नमूने को ताप-अवरोधी प्लास्टिक की थैलियों या ऊप्मा प्रतिरोधी कांच की बोतन या उपकरण में रखा जाएगा, जिसे एक कागज़ के लिफाफे में रखा जाएगा, ठीक से सील किया जाएगा और जैसा भी मामना हो, मूल या हुप्लिकेट के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
 - (2) कागज के लिफाफे पर उस पैकेज या कंटेनर की संबंधित क्रम संख्या भी होगी जिससे नमूना लिया गया था।
- (3) हुप्लीकेट नमूने वाले लिफाफे में परीक्षण मेमो का संदर्भ भी होगा और इसे दूसरे लिफाफे में रखा जाएगा, सीलबंद और 'गुप्त-दवा नमूना/परीक्षण ज्ञापन' चिह्नित किया जाएगा, जिसे रासायनिक विश्लेषण के लिए निर्दिष्ट प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।
- 13. परीक्षण के लिए नमूने का प्रेषण (1) मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद नमूने बिना किसी रासायनिक विश्लेषण के सीधे केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला या राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जैसा भी मामला हो, बिना किसी विलंब की अधिकार क्षेत्र वाले प्रयोगशालाओं में से किसी एक को भेजे जाएंगे।
- (2) जब्त औपधियों या पदार्थों के नमूने टेस्ट मेमो की आइ में क्षेत्राधिकार वाले प्रयोगशालाओं को भिजवाये जायेंगे, जो फॉर्म-6 में तीन प्रतियों में तैयार किये जायेंगे।
- (3) टेस्ट मेमो के मूल और हुप्लीकेट को नमूनों के साथ क्षेत्राधिकार वाले प्रयोगशाला को भेजा जाएगा और तीन प्रतियां जब्ती अधिकारी की केस फाइल में रखी जाएंगी।
- 14. शीघ्र परीक्षण.- रासायनिक प्रयोगशाला नमूना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जांच अधिकारी को एक प्रति के साथ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत करेगी।

वशर्ते कि जहां मात्रात्मक विश्लेषण के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, गुणात्मक परीक्षण के परिणाम टेस्ट मेमो की मूल प्रति पर उक्त समय सीमा के भीतर जांच अधिकारी को एक प्रति के माथ मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजे

आएंगे और अगले पंद्रह दिनों में परिणाम मात्रात्मक परीक्षण की संख्या भी डुप्लिकेट टेस्ट मेमो पर इंगित की जाएगी और जांच अधिकारी को एक प्रति के साथ मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजी जाएगी।

- 15. हुप्लिकेट नमूना और नमूने के अवशेष (1) नमूनों के अवशेषों को परीक्षण मेमो के संदर्भ में उस कार्यालय को लौटा दिया जाएगा जहां से वे प्रयोगशाला द्वारा विक्षेपण के बाद तीन महीने के भीतर प्राप्त हुए थे।
- (2) मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा परीक्षण रिपोर्ट की स्त्रीकृति के तुरंत बाद, जांच अधिकारी द्वारा धारित नमूना की दूसरी प्रति नमूने के अवशेषों के साथ नियम 5 में निर्दिष्ट गोदाम में जमा की जाएगी।

अध्याय IV

निपटान

- 16. मर्दे जिनका निपटान किया जा सकता है खतरनाक प्रकृति, चोरी की भेद्यता, प्रतिस्थापन और उचित भंडारण स्थान की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, सभी मादक दवाओं, मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों और वाहनों को जब्ही के बाद जितनी जल्दी हो सके, अधिनियम की धारा 52क के तहत निर्धारित तरीके से निपटाया जाएगा।
- 17. अधिकारी जो निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे किसी पुलिस स्टेशन का कोई भी प्रभारी अधिकारी या इस अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकृत कोई भी अधिकारी रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस अधिनियम की धारा 52क के तहत मादक दवाओं, मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या वाहनों के निपटान के लिए कार्रवार्ड शुरू करेगा।
- 18. मजिस्ट्रेट को आवेदन (1) अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी या यदि सामग्री को ऐसे अधिकारी द्वारा स्वयं जब्त किया जाता है, तो वह अधिनियम की धारा 52क की उप-धारा (3) के तहत आवेदन को जल्द से जल्द अनुमति देने के लिए अधिनियम की धारा 52 क की उप-धारा (2) के तहत मजिस्ट्रेट को फॉर्म -5 में आवेदन करेगा।
- (2) मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम की धारा 52क की उप-धारा (3) के तहत आवेदन की अनुमित देने के बाद, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रमाणित सूची, फोटोग्राफ और नमूने को संरक्षित करेगा, ऐसे मामले के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में और जब्त की गई सामग्री का विवरण ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष को निपटान पर समिति द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करेगा, और उक्त अधिकारी जव्त सामग्री के साथ विवरण की एक प्रति गोदाम का प्रभारी अधिकारी को भी भेजेगा।
- 19. ड्रग डिस्पोजल कमेटी.- प्रत्येक केंद्रीय दवा कानून प्रवर्तन एजेंसी और राज्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी के विभाग प्रमुख तीन सदस्यों वाली एक या एक से अधिक ड्रग निपटान समिति का गठन करेंगे, जिसका नेतृत्व एक अधिकारी करेगा जो पुलिस अधीक्षक या सीमा शुल्क और केंद्रीय माल और सेवा कर के संयुक्त आयुक्त, राजस्व खुफिया निदेशालय के संयुक्त निदेशक या समकक्ष रैंक के अधिकारी से नीचे के रैंक का नहीं होगा और ऐसी प्रत्येक समिति सीधे विभाग के प्रमुख के लिए जिम्मेदार होगी।
- 20. औषधि निपटान समिति का कार्य औपधि निपटान समिति के कार्य निम्न होंगे, -
 - जितनी बार संभव हो और आवश्यक हो, मिलें; (事)
 - निपटान के लिए जब्त की गई वस्तुओं की विस्तृत समीक्षा करना; (ख)
 - जब्त वस्तुओं के निपटान का आदेश, और **(刊)**
 - संबंधित जांच अधिकारियों या पर्यवेक्षी अधिकारियों को शीघ्र निपटान के लिए शुरू किए जाने वाले **(**घ) कदमों पर सलाह देना।

- 21. जब्त सामग्री के निपटान के संबंध में औषधि निपटान समिति द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया (1) गोदाम का प्रभारी अधिकारी अधिनियम की धारा 52क के तहत प्रमाणित सभी जब्दा सामग्रियों की एक सूची तैयार करेगा और इसे संबंधित औपधि निपटान समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।
- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूची की जांच करने और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि अधिनियम की धारा 52क की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन किया गया है, गंबंधित औपधि निपटान गमिति के गदस्य इस आशय के आवश्यक प्रमाण पत्र का समर्थन करेंगे और उसके बाद यह समिति जब्ही रिपोर्ट, रागायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के संदर्भ में जब्त की गई प्रत्येक सामग्री के यजन और अन्य विवरणों की भौतिक जांच और सत्यापन करेगी और प्रत्येक मामले में अपने निष्कर्प दर्ज करेगी।
- (3) पंचनामा में उल्लिखित इंजन संख्या, चेसिस संख्या और अन्य वियरणों को गत्यापित करेगी और उनकी मूची को प्रमाणित करेगी।
- 22. जब्त सामग्री के निपटान के लिए औषधि निपटान समिति की शक्ति औपधि निपटान गमिति जब्त गामग्री के निस्तारण का आदेश निम्न तालिका में दर्शाई गई मात्रा या मूल्य तक दे सकती है, अर्थात्: -

तालिका

क्र.स	तालिका	
(1)	पत्तु का नाम	मात्रा प्रति खेप
1.	हेरोइन	(3)
2.	हशीश (चरस)	5 किलोग्राम
3.	हशीश का तेल	100 किलोग्राम
4.	गांजा	20 किलोग्राम
5.	कोकीन	1000 किलोग्राम
6.	में ड्रेक्स ————————————————————————————————————	2 किलोग्राम
7.	पोस्त पुआल	3000 किलोग्राम
8.	अन्य स्वापक औषधिएं, मन: प्रभावी पदार्थ या प्रतिवंधित	10 मीट्रिक टन तक 500 किलोग्राम या 500 लीटर की मात्र
	पदार्थ	तक
9.	वाहन	50 लाख रुपये के मूल्य तक

वशर्ते कि यदि खेप मात्रा में अधिक हो या तालिका में दर्शाए गए मूल्य से अधिक हो, तो औषधि निपटान समिति अपनी सिफारिशें विभागाध्यक्ष को भेजेगी, जो विशेष रूप से इस संबंध में गठित एक उच्च स्तरीय औषधि निपटान समिति द्वारा उनके निपटान का आदेश देगी।

- 23. निपटान का तरीका (1) अफीम, मार्फीन, कोडीन एवं थेवेन का निस्तारण मुख्य कारखाना नियंत्रक के अधीन सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना को हस्तान्तरित कर किया जायेगा।
- उप-नियम (1) में वर्णित स्वापक औपधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के मामले में, जब्त की गई सामग्रियों का विवरण जो निपटान के लिए तैयार हैं ,मुख्य कारखाना नियंत्रक उपलब्ध मंचार के सबसे तेज़ साधनों द्वारा सूचित किया जाएगा।

- (3) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 67ख के अंतर्गत मुख्य कारखाना नियंत्रक, उपनियम (2) के अधीन संचार प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर स्वापक औपधियों और मन:प्रभावी पदार्थों की मात्रा, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा नमूने के रूप में आपूर्ति करने के लिए आयश्यक है, को इंगित करेगा।
- (4) उपनियम (3) के अधीन मुख्य कारखाना नियंत्रक द्वारा अपेक्षित स्वापक औपधियों तथा मन:प्रभावी पदार्यों की मात्रा, यदि कोई हो, उसे अंतरित की जायेगी तथा उप-नियम (5), (6) और (7) के प्रावधानों के अनुसार शेप मात्रा में स्वापक औषधियों एवं मन:प्रभावी पदार्थों का निस्तारण किया जायेगा।
- (5) स्वापक औषधियां, मन:प्रभावी पदार्थ और वैध चिकित्सा या औद्योगिक उपगोग वाले प्रतिवंधित पदार्थ और वाहन का निम्नतिखित प्रकार से निपटान किया जाएगा:
 - (क) स्वापक औषि, मन:प्रभावी पदार्थ और प्रतिबंधित पदार्थ जो औपि और प्रसाधन सामग्री अग्रिनियम, 1940 (1940 का 23) के प्रावधानों के अनुसार फॉर्मूलेशन के रूप में हैं और लेवल किए गए हैं और नियमों को निविदा या नीलामी के माध्यम से वेचा जा सकता है या उक्त अग्रिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यक्ति को लेवल में उल्लिखित लाइगेंसधारी निर्माता में मंरचना और सूत्रीकरण की पृष्टि करने के बाद, आपि निपटान समिति द्वारा निर्धारित की जाने वाली ऐसी अन्य रीति में शामिल है:

बशर्ते कि ऐसी बिक्री के समय जब्त किए गए फॉर्मूलेशन का कम से कम 60% शेल्फ लाइफ वनी रहे;

- (ख) स्वापक औपधि, मन:प्रभावी पदार्थ और प्रतिबंधित पदार्थों को फॉर्मूलेशन के रूप में और उचित लेबलिंग के बिना नष्ट कर दिया जाएगा;
- (ग) स्वापक औषि, मन:प्रभावी पदार्थ और प्रतिवंधित पदार्थ जो थोक रूप में जब्त किए गए हैं, उन्हें टेंडर या नीलामी के माध्यम से या औषि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्रकार से, औषि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम और आदेश और उक्त औषि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत उपयुक्त प्राधिकारी में चिकित्सा प्रयोजनों के लिए जब्त किए गए पदार्थों के मानकों और उपयुक्तता की पृष्टि करने के बाद की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यक्ति को बेचा जा सकता है।
- (घ) वैध औद्योगिक उपयोग वाले प्रतिबंधित पदार्थों को निविदा या नीलामी के माध्यम से या औपधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके से अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यक्ति को वेचा जा सकता है;
- (ङ) जब्त किए गए वाहनों को निविदा या नीलामी के माध्यम से वेचा जाएगा जैसा कि औपिध निपटान समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- (6) स्वापक औषधि, मन:प्रभावी पदार्थ और प्रतिवंधित पदार्थ जिनका कोई वैध चिकित्सा या आँद्योगिक उपयोग नहीं है या जब्त किए गए पदार्थ की ऐसी मात्रा जो इस तरह के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती है या बेची नहीं जा सकती है, को नष्ट कर दिया जाएगा।
- (7) उप-नियम (5) और उप-नियम (6) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विनाश उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से युक्त भस्मकों में भस्मीकरण द्वारा होगा , जो उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करते हैं और ऐसा भस्मीकरण केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड द्वारा अनुमोदित स्थानों में किया जाना चाहिए या जहां पर्याप्त सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और बाद के मामले में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह का भस्मीकरण स्वास्थ्य के लिए खतरा या प्रदूषणकारी न हो, राज्य प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड की सहमति या प्रदूषण नियंत्रण समिति, जैसा भी मामला हो, प्राप्त किया जाएगा और औषधि निपटान समिति के सदस्यों की उपस्थिति में नष्ट किया जाएगा।
- 24. औषधि को नष्ट करने से पहले विभागाध्यक्ष को सूचना औषध निपटान समिति नियम 23 के उपनियम (7) में निर्दिष्ट विनाश के संबंध में विभागाध्यक्ष को कम से कम पन्द्रह दिन पहले सूचित करेगी ताकि यदि वह उचित समझे तो वह या तो स्वयं औचक निरीक्षण कर सके या इस तरह के औचक निरीक्षण करने के लिए एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करें और प्रत्येक विनाश अभियान के वाद, औषधि निपटान समिति विनाश का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

- .5. नष्ट होने का प्रमाण पत्र (1) औषध निपटान समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा फॉर्म-7 में नष्टीकरण का प्रमाण भत्र तीन प्रतियों में तैयार कर हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- (2) विनाश प्रमाण-पत्र की मूल प्रति इस आशय की आवश्यक प्रतिष्टियां करने के पश्चात् गोदाम रजिस्टर में चिपकाई जायेगी, दूसरी प्रति जब्दी प्रकरण की फाइल में रखी जायेगी तथा तीगरी प्रति औषध्रि निपटान समिति द्वारा
- 26. राजकीय अफीम एवं अस्कलॉइड वर्क्स द्वारा प्राप्ति (1) जब्त स्थापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ, या प्रतिबंधित पदार्थ जब भी सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना को हस्तांतरित किया जाता है, तो यह इस तरह के हस्तांतरण की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए फॉर्म-8 में एक प्रमाण पत्र जारी फरेगा, जिस पर ऐसे किसी प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा जिसे प्राधिकारी के रूप में कारखानों के मुख्य नियंत्रक द्वारा नियत किया जा सकता है।
- (2) राजकीय अफीम एवं एल्केलायड वर्क्स जब्त स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ एवं प्रतिबंधित पदार्थ के न्यौरों के साथ प्ररूप-9 में एक रजिस्टर का रख-रखाय करेगा, जिस पर मुख्य नियंत्रक द्वारा निर्णीत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। कारखाने और जो अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पत्रीस वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित रहेंगे।
- 27. निपटान का प्रमाण पत्र (1) जब और जैसे जब्त की गई स्थापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ, प्रतिबंधित पदार्थ या वाहन को सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना को हस्तांतरित किया जाता है या निविदा या नीलामी के माध्यम से या औपधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके मे बेचा जाता है, को फॉर्म-10 में निपटान प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा एवं औषधि निपटान समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- (2) प्रमाण पत्र की मूल प्रति गोदाम रजिस्टर में चिपका दी जायेगी, दूसरी प्रति जब्ती मामले की फाइल में रखी जायेगी और तीसरी प्रति औषधि निपटान समिति द्वारा रखी जायेगी।
- 28. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को संचार (1) प्रत्येक केंद्रीय औपधि कानून प्रवर्तन एजेंसी और राज्य आपधि कानून प्रवर्तन एजेंसी के विभागाध्यक्ष अधिनियम की धारा 52क के तहत मादक औपिधओं, मन:प्रभावी पदार्थों, प्रतिवंधित पदार्थों और वाहनों को निपटान के विषय में फार्म-11 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तृत करेंगे।
- (2) किसी तिमाही के लिए विवरणी उस तिमाही के बाद वाले महीने के अंतिम दिन से पहले प्रस्तुत की जाएगी। स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उप-नियम (2) के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "तिमाही" प्रत्येक वर्ष जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंवर और अक्टूवर से दिसंवर तक होगी।

अध्याय -IV

विविध

29. निरसन और व्यावृत्तियौँ- (1) नारकोटिक्स कंट्रोल व्यूरो द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 1/88, दिनांक 15 मार्च . 1988, स्थायी आदेश संख्या 2/88, दिनांक 11 अप्रैल, 1988, स्थायी आदेश संख्या 1/89 दिनांक 13 जून 1989 ,भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी किया गया है और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, जिसे सा.का.नि. संख्या 38)अ). दिनांक 16 जनवरी, 2015, एतदद्वारा ,निरसित किया जाता है।

(2) इस तरह के निरसन के वावजूद, उप-नियम (1) द्वारा निरस्त किए गए किसी भी स्थायी आदेश या अधिसूचना के तहत किया गया कोई भी काम या की गई कोई कार्रवाई या की गई कार्रवाई या की गई कार्रवाई, जहां तक कि यह प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है इन नियमों के अनुरूप प्रावधानों के तहत किए गए या किए गए माने जाएंगे।

[फा. सं. एन-16011/07/2018-एनसी -॥]

विनोद कुमार, निदेशक

फॉर्म 1

[नियम 5(1) देखें]

[दो प्रतियों में तैयार करने के लिए] जब्ती अधिकारी द्वारा ज्ञापन गोदाम को अग्रेपित करना

- 1. एनडीपीएस अपराध संख्या [स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अग्नियम, 1985 (1985 का 61) के तहत अपराध और अभियोजन रजिस्टर के अनुसार]
- 2. अभियुक्त का नाम व पता
- 3. जब्ती का स्थान, दिनांक और समय
- 4. प्रत्येक सीलवंद पैकेज / कंटेनर में वस्तुओं का विवरण (भौतिक गुण)।
- 5. ड्रग डिटेक्शन किट द्वारा किए गए परीक्षण के परिणाम, यदि कोई हो
- 6. प्रत्येक सीलबंद पैकेज / कंटेनर में मात्रा
- 7. समान सामग्री वाले पैकेजों/कंटेनरों की सामग्रीवार संख्या
- 8. पैकेजों / कंटेनरों की कुल संख्या
- 9. वाहनों की कुल संख्या
- 10. प्रत्येक वाहन का विवरण, जैसे कि प्रकार, मेक, निर्माता का नाम, रंग आदि, प्रत्येक वाहन से जुड़ी पहचान संख्या के साथ, जैसे पंजीकरण संख्या, इंजन संख्या, चेसिस संख्या, आदि।
- 11. वाहन के रूप में प्रयुक्त पशुओं का विवरण

ऱ्यान:

गरीख:

ामय:

आधिकारिक सील सहित जब्ती अधिकारी के हस्ताक्षर, पूरा नाम और पदनाम

ादाम के प्रभारी अधिकारी रा पृष्ठांकित: आधिकारिक सील सहित हस्ताक्षर और पूरा नाम

फार्म -2 [नियम 5(2) देखें]

गोवाम के प्रभारी अधिकारी द्वारा पावती

	ताक्षरित और अधोहस्ताक्षरी द्वारा पृष्ठांकित (फॉर्भ -1 की मूल प्रति अपने पाग रसी गई फॉर्म -1 में विवरण के अनुसार, संख्या में पैकेज/कंटेनर और संख्या उनको गोदाम के रजिस्टर की प्रविष्टि संख्या के अनुसार गोदाम में रस दिया गय	
	TO ME TO USE MAKE	
स्थान:		
तिथि:	आधिकारिक मील सहित गोदान के प्रमारी	
समय:	अधिकारी के हस्ताक्षर, पूरा नाम और पदनाम	

फॉर्म-3 [नियम 6(2) देखें] गोदाम में प्राप्त सामग्री का रजिस्टर

गोदाम रजिस्टर सं	मोनाम ने 0
वर्ष	गोदाम के प्रभारी अधिकारी का नाम

- 1. गोदाम प्रविष्टि क्र.सं.:
- 2. एनडीपीएस अपराध संख्या:
- 3. जब्ती/जमा करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम/पता:
- 4. जब्ती अधिकारी द्वारा पैकेजों/कंटेनरों पर लगाई गई सील की प्रतिकृति:
- 5. आरोपी का नाम व पता:
- 6. जब्ती का स्थान, दिनांक और समय:
- 7. गोदाम में जमा करने की तारीख और समय:
- प्रत्येक सीलवंद पैकेज / कंटेनर में वस्तुओं का विवरण (भौतिक गुण):
- 9. प्रत्येक सीलवंद पैकेज/कंटेनर में सकल मात्रा:

- 10. मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूना सेने के बाद शुद्ध मात्राः
- 11. समान सामग्री वाले पैकेजों/कंटेनरों की सामग्रीवार संख्या:
- 12. पैकेजों / कंटेनरों की कुल संख्या :
- 13. वाहनों की कुल संख्या:
- 14. प्रत्येक वाहन का विवरण, जैसे कि प्रकार, मेक, निर्माता का नाम, रंग इत्यादि, प्रत्येक वाहन में दुड़ी पहचान संख्या के साथ, जैसे पंजीकरण संख्या, इंजन संख्या, वेशिस संख्या , आहि ;
- 15. बाहन के रूप में प्रयुक्त पशुका विवरण:
- 16. न्यायालय में प्रदर्शन के लिए निकासी और पुनः प्रवेश का विवरण:
- 17. चया मजिस्ट्रेट ने धारा 52क के तहत पेश किए गए आवेदन को अनुमति दी है (विवरण का उल्लेख करें):
- 18. निपटान के लिए हटाने की तिथि और समय:
- 19. विनाश/निपटान का प्रमाण पत्र, जैसा भी मामसा हो:
- 20. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियां:

फार्म-4

[नियम 8 देखें]

जन्त सामग्री की सूची

[स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 की धारा 52क की उप-धारा (2) के तहत]

स्वि।पवा आयाय गा	
मामला संख्या	
जन्ती एजेंसी:	
जब्ता एजसाः	
जब्ती अधिकारी:	
जब्ती की तारीख:	
जब्ती का स्थान:	
जब्ती का स्थान: इस सूची को तैयार करने वाले अधिकारी व	ज्ञ नाम और पदनाम:
इस सूचा का तथार गरा ना	

तालिका

इ. सं .	बरामद किए गए सामान का विवरण	गुणवत्ता	मात्रा	पैकिंग की विधा	ाचहन आर संख्या	जब्त वस्तुओं की अन्य पहचान या पैकिंग का	उद्गम देश	
						विवरण	(0)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)

अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क की उप-धारा (3) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा

जहां कि उपरोक्त अधिकारी ने उपरोक्त सूची को प्रमाणित करने के लिए स्वापक औपग्रि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की उप-धारा (2) धारा 52क के तहत मेरे पास आवेदन किया था और उस धारा की उप-धारा (3) में यह जरूरी है कि जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है यदि वह उसमें स्पष्ट हो, तो वह आवेदन को यथाशीम अनुमोदित कर देअत: , मैं, इस बात से संतुष्ट हूं कि उपरोक्त गूची जरूती दस्तावेजों के अनुमार है और मेरे सामने प्रस्तुत मामले से संबंधित जब्त सामग्री की खेप उपरोक्त सूची के ठीक होने को प्रमाणित करती है।

मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

फॉर्म-5

[देखेः नियम 8 और नियम 18 (1)]

स्वापक औषष्ठि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 की धारा 52क की उप-धारा (2) के तहत जब्त स्वापक औषष्ठि, मन:प्रभावी पदार्थ, प्रतिबंधित पदार्थ और वाहन के निपटान के लिए आवेदन

[िकसी पुनिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या स्वापक औपिध, मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 53 के तहत शक्ति प्राप्त अधिकारी द्वारा किया जाने वाला आवेदन, जिसके हिरासत में उक्त अधिनियम के तहत जब्त की गई सामग्री हैं।

सेवा में.

माननीय मजिस्ट्रेट महोदय,

महोदय,

विषय: जब्त स्वापक औषिधयों, मन:प्रभावी पदार्थों, प्रतिबंधित पदार्थों और वाहनों की सूची, फोटोग्राफ और नमूनों की सत्यता के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन

1. अधिसूचना संख्या दिनांक के तहत सरकार ने स्वापक औषधि, मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 की धारा 52क के तहत सभी स्वापक औषधि, मन:प्रभावी पदार्थ, प्रतिबंधित पदार्थ और वाहन की इस रूप में पहचान कर ली है, जो चोरी और प्रतिस्थापन की दृष्टि से असुरक्षित है।

- 2. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क की उप-धारा (2) के तहत आवश्यक के रूप में, मैं जब्त सामग्री की संलग्न सूची प्रस्तुत करता हूं और आगसे अनुरोध करता हूं कि-
- (a) इन्वेंट्री की शुद्धता को प्रमाणित करें;
- (b) आपकी उपस्थिति में, सूची में जब्त की गई वस्तुओं की तस्त्रीरें लेने की अनुमनि में और ऐसी तस्त्रीरों को सस्य के रूप में प्रमाणित करें; और
- (c) अपनी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति हैं और इस प्रकार तैयार किए गए नमूनों की सुनी की सन्यता को प्रमाणित करें।
- 3. मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि स्वापक औषधि एवं मन:प्रभागी पदार्थ अधिनियम,1985 की ग्रास 52क की उप-धारा (3) के तहत अनुमति दी जाए ताकि जब्त की गई भावक दयाओं, मनः प्रभावी पदार्थ, प्रतिवंधित पदार्थी पा वाहनों का तत्पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 52क की उप-धारा (1) के अनुसार धारा 52क की उप-धारा (4) के अनुसार इसका निपटान किया जा सके और इसका प्रमाण पत्र, तस्यीरों और नमूनों को प्राथमिक साट्य के रूप में अपने पास रखा जा सके।

आपका.

अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

तिथि:

स्वापक औषघि एवं मन:प्रमावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की घारा 52क की उप-धारा (3) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण

मैं स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क की उप-धारा (3) के तहत उपरोक्त आवेदन की अनुमित देता हूं और इसके द्वारा संलग्न सूची की सत्यता, ली गई संलग्न तस्वीरों और मेरी उपस्थिति में तैयार किए गए नमूनों की सूची को प्रमाणित करता हूं।

मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

तिथि:

फार्म-6

[वेखे: नियम 13(2)]

परिकाण रसीव

जब्ती करने वाले संगठन का नाम और पता

अनुभाग -। (जन्ती अधिकारी के द्वारा उपयोग के लिए)

- 1. मामला संख्या
- नमूना लेने वाले अधिकारी (अधिकारियों) का नाम और पता:
- 3. अभियुक्तों का नाम और पता:
- 4. नशीली दवाओं का तथा-कथित विवरण और नमूनों का वजन (शुद्ध वजन):
- 5. जब्ती की तारीख और समय:
- 6. जब्ती का स्थान:
- 7. नमूना लेने की तिथि:
- नमूनों की संख्या और पहचान के लिए उनमें से प्रत्येक पर उसका अंकन:
- सील का विवरण: नमूनों पर लगाई गई मील की संख्या:
- 10. सील की प्रतिकृति:

अग्रेषण अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

खंड-॥ प्रयोगशाला में उपयोग के लिए

- प्रयोगशाला में प्राप्ति की तिथि:
- 2. वजन (शुद्ध वजन) जैसा कि प्रयोगशाला में पाया गया:
- निम्नलिखित के परिणाम आयोजित करने की तिथि: -
 - (क) गुणात्मक परीक्षण:
 - (ख) मात्रात्मक परीक्षण:
 - (ग) रसायनज्ञ का सामान्य अवलोकन:

रसायनम् का नाम और हस्ताक्षर

फॉर्म -7

[देखेः नियम 25]

नष्ट किए जाने का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थ एवं प्रतिवंधित पदार्थों को हमारी उपस्थिति में नष्ट किया गया-

- 1. मामला संख्या:
- 2. स्वापक औषधियां/मन:प्रभावी पदार्थ/प्रतिवंधित पदार्थ:
- 3. जब्ती एजेंसी:
- 4. जब्ती अधिकारी:
- 5. जब्ती की तारीख:
- जब्ती का स्थान:
- 7. गोदाम-प्रविष्टि संख्या:
- जब्त की गई दवाओं का कुल वजन:

नष्ट किए गए स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों, प्रतिवंधित पदार्थों का शुद्ध वजन (नमूने आदि लेने के वाद):

10. कहां और कैसे नष्ट किया गया:

हुग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम।

फार्म -8

[नियम 26(1) देखें]

सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना द्वारा प्रमाण पत्र

संदर्भ संख्या		
प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी अफीम एवं धारोद कारखाना में निम्नलिखित पदार्थ/प्रतिबंधित पदार्थ प्राप्त हुए थे :	स्यापक औषधियां,	/मनःप्रभावी
1. मामला संख्या:		

- 2. जन्ती एजेंसी:
- 3. जब्ती अधिकारी:
- 4. जब्ती की तारीख:
- 5. जब्ती का स्थान:
- 6. गोदाम-प्रविष्टि संख्या:
- 7. सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना में प्राप्त स्वापक औषधि/मन:प्रभावी पदार्थ/प्रतिवंधित पदार्थ का विवरण:-
- (क) स्वापक औषधि/मन:प्रभावी पदार्थ/प्रतिवंधित पदार्थ का नामः
- (ख) प्राप्त स्वापक औषधि/मन:प्रभावी पदार्थ/प्रतिवंधित पदार्थ का शुद्ध वजन (यदि एक से अधिक औपधि और/या पदार्थ है, प्रत्येक का शुद्ध वजन निर्दिष्ट किया जाना है)
- 8. पूर्वोक्त स्वापक औषधि/ मन:प्रभावी पदार्थ/प्रतिबंधित पदार्थ की प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज की गई है।

इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, जैसा कि नियम 26 में दिया गया है।

फार्म-9

[देखेः नियम 26 (2)]

सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले स्वापक औषधि/ मन:प्रभावी पदार्य/प्रतिबंधित पदार्थ की प्राप्ति का रजिस्टर

- 1. क्रम संख्या:
- 2. मामला संख्या:
- 3. जब्ती एजेंसी:
- 4. जब्ती अधिकारी:

- 5. जब्ता का तारीख:
- 6. जब्ती का स्थान:
- 7. गोदाम-प्रविष्टि संख्या:
- स्वापक औषधि/ मन:प्रभावी पदार्थ/प्रतिवंधित पदार्थ का नाम:
- 9. प्राप्त स्वापक औषधि/ मन:प्रभावी पदार्थ/प्रतिबंधित पदार्थ का शुद्ध भार (यदि एक मे अधिक औषधि या पदार्थ
- हैं तो प्रत्येक का निवल भार लगातार क्रम संख्या के साथ विनिर्दिष्ट किया जाए):

10. उक्त स्वापक औषिधि/मनःप्रभावी पदार्थ/प्रतिबंधित पदार्थ की प्राप्ति के लिए जारी प्रमाण पत्र की संदर्भ संख्या एवं दिनांक:

नियम 26 के अनुसार प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम।

फार्म-10

[देखे: नियम 27]

निपटान-प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित स्वापक औपिधयों, मनःप्रभावी पदार्थों, प्रतिबंधित पदार्थों और वाहनों का निपटान किया गया:-

- 1. मामला संख्या:
- 2. जब्ती एजेंसी:
- 3. जब्ती अधिकारी:
- 4. जन्ती की तारीख:
- 5. जब्ती का स्थान:
- गोदाम-प्रविष्टि संख्या:
- 7. स्वापक औषधि/मनोप्रभावी पदार्थ/प्रतिबंधित पदार्थ का विवरण :-
- औषधि/पदार्थ का नाम: (事)
- जब्त की गई औषधि/पदार्थ का सकल वजन (यदि एक से अधिक औषधि या पदार्थ है, तो प्रत्येक का सकल (ख) वजन विनिर्दिष्ट किया जाना है):
- नमूने लेने के बाद औषि। पदार्थ का शुद्ध वजन (यदि एक से अधिक औषिध और/या पदार्थ हैं तो प्रत्येक का (ग) शुद्ध वजन विनिर्दिष्ट किया जाना है):
- सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना को अंतरित मात्रा: (घ)
- सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र की संदर्भ संख्या एवं दिनांक: (S)

- (च) बिक्री किया गया माल:
- (छ) बिक्री से प्राप्त आय (रुपये में):
- (ज) किसे विक्री किया गया:
- 8. वाहन का विवरण:-
 - (क) वाहन की पंजीकरण संख्या:
 - (ख) वाहन का विवरण (निर्माता, माँडल, रंग, आदि स्पष्ट किया जाना है):
 - (ग) वाहन की पहचान संख्या, जैसे कि इंजन संख्या, चेसिस संख्या, आदि निर्दिष्ट की जानी है:
 - (घ) विक्री से प्राप्त आय (रुपये में):
 - (ङ) किसे बिक्री किया:

3. मामलों की कुल संख्या (1+2):

ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम।

फार्म -11

[देखेः नियम 28]

केन्द्रीय औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसी/राज्य औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसी के विभागाध्यक्ष द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को प्रस्तुत की जाने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट

दिनांक	को समाप्त होने वाली तिमाही रिपोर्ट	
कानून प्रवर्तन एजेंस	ती का नाम और पता:	
1. तिमाही की	ो शुरुआत में मामलों की संख्या	
2 तिमाही के	दौरान नए मामलों की संख्या	

- 4. उपरोक्त (3) मामलों की कुल संख्या में से, ऐसे मामलों की संख्या जहां इस अधिनियम की धारा 52क की उप-धारा 2 के तहत आवेदन किया गया है:
- 5. ऐसे मामलों की संख्या जहां इस अधिनियम की धारा 52क की उप-धारा 2 के तहत स्थानांतरित आवेदन को उक्त धारा 52क की उप-धारा (3) के तहत अनुमति दी गई है:
- 6. उपरोक्त 5 मामलों में से, ऐसे मामलों की संख्या जहां जब्त सामग्री का निपटान किया जा चुका है

स प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी/राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के विभागाध्यक्ष रा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम तथा कार्यालय का पता।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2022

G. S. R. 899(E).—In exercise of the powers conferred by section 76; read with section 52A; of the Narcotic and Psychotropic Substances Act, 1008 vers conferred by section 76; read with section 52A; of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following

CHAPTER-I

PRELIMINARY

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Scizure, Storage, Sampling and Disposal) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions. (1) In these rules, unless the context otherwise requires, --
 - "Act" means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985):
 - "container" means a portable receptacle in which narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances are placed for convenience of movement;
 - "Form" means the forms appended to these rules; (c)
 - "Magistrate" means the judicial magistrate; (d)
 - "package" means the narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances covered in (c)
- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

SEIZURE AND STORAGE OF SEIZED MATERIAL

- 3. Classification of seized material. (1) The narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances seized under the Act shall be classified based on physical properties and results of the drug detection kit, if any, and
- If the narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances are found in packages or shall be weighed separately. containers, such packages and containers shall be weighed separately and serially numbered for the purpose of
- All narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances found in loose form shall be packed in tamper proof bag or in container, which shall be serially numbered and weighed and the particular of drugs and the date of seizure shall also be mentioned on such bag or container:

Provided that bulk quantities of ganja, poppy straw may be packed in gunny bags and sealed in such way that

Provided further that seized concealing material such as trolley bags, backpack and other seized articles shall it cannot be tempered with:

- The classification, weighing, packaging and numbering referred to in this sub-rule shall be done in the presence of search witnesses (Panchas) and the person from whose possession the drugs and substances was be sealed separately. recovered and a mention to this effect shall invariably be made in the panchnama drawn on the spot of seizure.
- The detailed inventory of the packages, containers, conveyances and other seized articles shall be prepared
- 4. Designation of godowns. (1) The godowns for storage of narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances, conveyance and other articles seized under the Act shall be designated by,
 - the department and agencies of the Central Government whose officers have been delegated powers of an officer-in-charge of a police station under section 53 of the Act;

- (b) The State Police and the department and agencies of the State Government whose officers have been delegated powers of an officer-in-charge of a police station under section 53 of the Act.
- (2) Godowns referred to in sub-rule (1) shall be identified taking into consideration the security aspect and juxtaposition to court of law and such godowns shall be placed under the over-all supervision and charge of an officer of Gazette rank of the department and agencies referred to in sub-rule (1).
- 5. Deposit in godowns. (1) All seized materials referred to in sub-rule (1) of rule 3, after seizure under the Act shall be deposited by the seizing officer in the nearest godown designated under rule 4 within forty-eight hours from the time of seizure along with a forwarding memorandum in Form-1:

Provided that the said time period may be relaxed by further twenty-four hours after providing of reasonable justification by the officer to whom the seized material has been forwarded under sub-section (3) of Section 52 of the Act.

- (2) The officer in-charge of a godown, before giving an acknowledgement of receipt in Form-2, shall satisfy himself that the seized materials are properly packed, sealed and in conformity with the details mentioned in Form-1.
- (3) The officer, who had seized the material, shall hand over the acknowledgement of receipt of seized material in Form-2, alongwith all other documents relating to the seizure, to the Investigating Officer for further proceedings.
- Storage of seized material in godown. (1) After receipt of the seized material, the officer in-charge of the godown shall ensure that the seized material is properly arranged, case-wise, for quick retrieval.
 - (2) The officer in-charge of a godown shall maintain a register of material received in the godown in Form-3.
 - (3) All seized material, excluding the conveyances, shall be stored in safes and vaults with double lock.
- 7. Inspection of godown. (1) The department and agencies referred to in rule 4 and the State Police shall designate an Inspecting Officer for each godown, who shall be higher in rank to that of the officer in-charge of the godown.
- (2) The Inspecting Officer referred to in sub-rule (1) shall make periodical inspection of the godown, at least once in every quarter, and shall record his remarks in the godown register in Form-3 with respect to security, safety and early disposal of the seized material.
- (3) The departments and agencies, referred to in rule 4 and the State Police shall maintain periodical reports and returns to monitor the safe receipt, deposit, storage, accounting and disposal of seized materials under the Act.

CHAPTER III

SAMPLING

- 8. Application to Magistrate. After the seized material under the Act is forwarded to the officer-in-charge of the nearest police station or to the officer empowered under section 53 of the Act or if it is seized by such an officer himself, he shall prepare an inventory of such material in Form-4 and apply to the Magistrate, at the earliest, under sub-section (2) of section 52A of the Act in Form-5.
- 9. Samples to be drawn in the presence of Magistrate. After application to the Magistrate under sub-section (2) of section 52A of the Act is made, the Investigating Officer shall ensure that samples of the seized material are drawn in the presence of the Magistrate and the same is certified by the magistrate in accordance with the provisions of the said-sub-section.
- 10. Drawing the samples. (1) One sample, in duplicate, shall be drawn from each package and container seized.
- (2) When the packages and containers seized together are of identical size and weight bearing identical marking and the contents of each package give identical results on colour test by the drugs identification kit, conclusively indicating that the packages are identical in all respects, the packages and containers may carefully be bunched in lots of not more than ten packages or containers, and for each such lot of packages and containers, one sample, in duplicate, shall be drawn:

Provided that in the case of ganja, poppy straw and hashish (charas) it may be bunched in lots of not more than fourty packages or containers.

(3) In case of drawing sample from a particular lot, it shall be ensured that representative sample in equal quantity is taken from each package or container of that lot and mixed together to make a composite whole from which the samples are drawn for that lot.

out than twenty-four grams shall be drawn for cases of opium, ganja and charas (hashish), where a quantity less than twenty-four grams shall be drawn for each sample, in all other cases not less than five grams shall be for each sample and the same quantity shall be taken for the duplicate sample.

The seized substances in the packages or containers shall be well mixed to make it homogeneous and representative before the sample, in duplicate, is drawn.

- In case where seized quantities is less than that required for sampling, the whole of the seized quantity may be sent.
- 12. Storage of samples. (1) Each sample shall be kept in heat-sealed plastic bags or heat-resistant glass bottle or apparatus, which shall be kept in a paper envelope, sealed properly and marked as original or duplicate, as the case
- The paper envelope shall also bear the respective serial number of the package or container from (2) which the sample had been drawn.
- The envelope containing the duplicate sample shall also have reference of the test memo and shall be kept in another envelope, sealed and marked 'Secret-drug sample / Test memo', to be sent to the designated laboratory for chemical analysis.
- 13. Despatch of sample for testing. (1) The samples after being certified by the Magistrate shall be sent directly to any one of the jurisdictional laboratories of Central Revenue Control Laboratory. Central Forensic Science Laboratory or State Forensic Science Laboratory, as the case may be, for chemical analysis without any delay.
- The samples of seized drugs or substances shall be despatched to the jurisdictional laboratories under the cover of the Test Memo, which shall be prepared in triplicate, in Form-6.
- The original and duplicate of the Test Memo shall be sent to the jurisdictional laboratory alongwith the samples and the triplicate shall be retained in the case file of the seizing officer.
- Expeditious Test.- The chemical laboratory shall submit its report to the court of Magistrate with a copy to the investigating officer within fifteen days from the date of receipt of the sample.

Provided that where quantitative analysis requires longer time, the results of the qualitative test shall be dispatched to the court of Magistrate with a copy to investigating officer within the said time limit on the original copy of the Test Memo and in the next fifteen days the result of quantitative test shall also be indicated on the duplicate Test Memo and sent to the court of Magistrate with a copy to the investigating officer.

- Duplicate Sample and Remnants of Samples. (1) Remnants of samples shall be returned with reference to the Test Memo to the office from which they were received within three months after the analysis by the laboratory.
- Immediately after the acceptance of the test report by the court of Magistrate, the duplicate sample held by the Inquiry Officer shall be deposited in the godown referred to in rule 5 along with the remnants of the sample.

- 16. Items that can be disposed of. Having regard to the hazardous nature, vulnerability to theft, substitution and constraints of proper storage space, all narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances and conveyances, as soon as may be after their seizure, shall be disposed of in the manner determined under section 52A
- 17. Officers who shall initiate action for disposal. Any officer in-charge of a police station or any officer empowered under section 53 of the Act shall initiate action for disposal of narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances under section 52A of the Act after the receipt of chemical analysis report.
- 18. Application to Magistrate. (1) The officer empowered under section 53 of the Act or if the materials are seized by such an officer himself, he shall apply to the Magistrate under sub-section (2) of section 52A of the Act in Form-5 at the earliest to allow the application under sub-section (3) of section 52A of the Act.
- After the Magistrate allows the application under sub-section (3) of section 52A of the Act, the officer referred to in sub-rule (1) shall preserve the certified inventory, photographs and samples drawn in the presence of the Magistrate as primary evidence for the case and submit details of the seized materials to the Chairman of the Drug Disposal Committee for a decision by the Committee on the disposal, and the said officer shall also send a copy of the details along with the seized materials to the officer-in-charge of the godown.
- 19. Drug Disposal Committee.- The Head of the Department of each Central drug law enforcement agency and State drug law enforcement agency shall constitute one or more Drug Disposal Committees comprising of three Members each which shall be headed by an officer not below the rank of the Superintendent of Police or Joint Commissioner of

and Central Goods and Services Tax, Joint Director of Directorate of Revenue Intelligence or officers of and and every such Committee shall be directly responsible to the Head of the Department. Functions of the Drug Disposal Committee. - The functions of the Drug Disposal Committee shall be to. -

- (b) conduct a detailed review of seized items pending disposal;
- (c) order disposal of seized items, and

Conveyances

- (d) advise the respective investigation officers or supervisory officers on the steps to be initiated for expeditious
- 21. Procedure to be followed by the Drug Disposal Committee with regard to disposal of seized materials. (1)

 The officer-in-charge of the codours shall report the series of the codours shall report to the base been certified under The officer-in-charge of the godown shall prepare a list of all the seized materials that have been certified under section 52A of the Act and submit it to the Chairman of the concerned Drug Disposal Committee.
- (2) After examining the list referred to in sub-rule (1) and satisfying that the requirements of section 52A of the Act have been fully complied with, the Members of the concerned Drug Disposal Committee shall endorse necessary certificates to this effect and thereafter that Committee shall physically examine and verify the weight and other details of each of the seized materials with reference to the seizure report, report of chemical analysis and any other documents, and record its findings in each case.
- In case of conveyance, the committee shall verify the engine number, chassis number and other details mentioned in panchnama and certify the inventory thereof.
- 22. Power of Drug Disposal Committee for disposal of seized material. The Drug Disposal Committee can order disposal of seized materials up to the quantity or value indicated in the following Table, namely: SI No

SI. N	o. Name of item	
(1)		Quantity per consignment
1.	Heroin (2)	(3)
2.	Hashish (Charas)	5 Kilogram
3.	Hashish oil	100 Kilogram
4.	Ganja	20 Kilogram
5.	Cocaine	1000 Kilogram
6.	Mandrax	2 Kilogram
7.	Poppy straw	3000 Kilogram
8.	Other parcetic desired	Up to 10 Metric Tonne.
9.	controlled substances controlled substances	Upto a quantity of 500 Kilogram or 500

Provided that if the consignments are larger in quantity or of higher value than those indicated in the Table, the Drug Disposal Committee shall send its recommendations to the Head of the Department who shall order their disposal by a high-level Drug Disposal Committee specially constituted in this regard.

- 23. Mode of disposal. (1) Opium, morphine, codeine and thebaine shall be disposed of by transferring to the Government Opium and Alkaloid Works under the Chief Controller of Factories.
- In case of narcotic drugs and psychotropic substances other than those mentioned in sub-rule (1). the Chief Controller of Factories shall be intimated by the fastest means of communication available, the details of the seized materials that are ready for disposal.
- The Chief Controller of Factories shall indicate within fifteen days of the date of receipt of the communication under sub-rule (2), the quantities of narcotic drugs and psychotropic substances, if any, that are required by him to supply as samples under rule 67B of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules.
- The quantities of narcotic drugs and psychotropic substances, if any, as required by the Chief Controller of Factories under sub-rule (3) shall be transferred to him and the remaining quantities of narcotic

Litre Upto a value of Rs. 50 Lakhs: psychotropic substances shall be disposed of in accordance with the provisions of sub-rules (5). (6)

Narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances having legitimate medical or industrial use, and conveyances shall be disposed of in the following manner:

narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances which are in the form of formulations and labelled in accordance with the provisions of the Drugs and Cosmetics Act. 1940 (23 of 1940) and rules made thereunder may be sold, by way of tender or auction or in such other manner as may be determined by the Drug Disposal Committee, after confirming the composition and formulation from the licensed manufacturer mentioned in the label, to a person fulfilling the requirements of the said Act and the rules and orders made thereunder:

Provided that a minimum of 60% of the shelf life of the seized formulation remains at the time of such

- narcotic drugs, psychotropic substance and controlled substances seized in the form of formulations (b)
- narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances seized in bulk form may be sold by way of tender or auction or in such other manner as may be determined by the Drug Disposal Committee, to a person fulfilling the requirements of the Drugs and Cosmetics Act. 1940 (23 of 1940) and the Act, and the rules and orders made thereunder, after confirming the standards and fitness of the seized substances for medical purposes from the appropriate authority under the said Drugs and
- controlled substances having legitimate industrial use may be sold, by way of tender or auction or in such other manner as may be determined by the Drug Disposal Committee, to a person fulfilling the
- seized conveyances shall be sold by way of tender or auction as may be determined by the Drug
- Narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances which have no legitimate medical or industrial use or such quantity of seized substance which is not found fit for such use or could not be sold shall be
- The destruction referred to in clause (b) of sub-rule (5) and sub-rule (6) shall be by incineration in incinerators fitted with appropriate air pollution control devices, which comply with emission standards and such incineration may only be done in places approved by the State Pollution Control Board or where adequate facilities and security arrangements exist and in the latter case, in order to ensure that such incineration may not be a health hazard or polluting, the consent of the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall be obtained, and the destruction shall be carried out in the presence of the Members of the Drug
- 24. Intimation to Head of Department on destruction. -The Drug Disposal Committee shall intimate the Head of the Department regarding the destruction referred in sub-rule (7) of rule 23, at least fifteen days in advance so that, in case he deems fit, he may either himself conduct surprise checks or depute an officer for conducting such surprise checks and after every destruction operation, the Drug Disposal Committee shall submit to the Head of the
- 25. Certificate of destruction. (1) A certificate of destruction in Form-7 shall be prepared in triplicate and
- The original copy of the certificate of destruction shall be pasted in the godown register after signed by the Chairman and Members of the Drug Disposal Committee. making necessary entries to this effect, the duplicate to be retained in the seizure case file and the triplicate copy
- 26. Receipt by Government Opium and Alkaloid Works. (1) As and when seized narcotic drug, psychotropic substance, or controlled substance is transferred to the Government Opium and Alkaloid Works, it shall issue a certificate in Form-8, acknowledging the receipt of such transfer, which shall be signed by an authority as may be
- (2) The Government Opium and Alkaloid Works shall maintain a register in Form-9 containing details of seized narcotic drug, psychotropic substance, and controlled substance transferred to it, which shall be signed by an authority as may be decided by the Chief Controller of Factories and which shall be preserved for a period of twentyfive years from the date of last entry.

Certificate of Disposal. - (1) As and when the seized narcotic drug, psychotropic substance, controlled nance or conveyance is transferred to the Government Opium and Alkaloid Works or sold by way of tender or ction or in any other manner determined by the Drug Disposal Committee, a certificate of disposal in Form-10 shall be prepared in triplicate and signed by the Chairman and Members of the Drug Disposal Committee.

- The original copy of the certificate of disposal shall be pasted in the godown register after making necessary entries to this effect, the duplicate copy shall be retained in the seizure case file and the triplicate copy shall be kept by the Drug Disposal Committee.
- 28. Communication to Narcotics Control Bureau. (1) The Head of the Department of each Central drug law enforcement agency and State drug law enforcement agency shall submit a quarterly report in Form-11 to the Narcotics Control Bureau giving details of action taken for disposal of narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances and conveyances under section 52A of the Act.
- (2) The return for a quarter shall be submitted before the last day of the month following that quarter.

Explanation. - For the removal of doubts, it is hereby clarified that for the purpose of sub-rule (2) the expression "quarter" shall be January to March, April to June, July to September and October to December of every year

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

- 29. Repeal and savings. (1) The Standing Order No. 1/88, dated the 15th March, 1988, Standing Order No 2/88, dated the 11th April, 1988, issued by the Narcotics Control Bureau, Standing Order No. 1/89, dated the 13th June. 1989, issued by the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.339(E), dated the 10th May, 2007 and the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary. Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R.38(E), dated the 16th January, 2015 are hereby repealed.
- Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under any of the Standing Order or notification repealed by sub-rule (1) shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of these rules.

[F. No-N-16011/07/2018-NC-II] VINOD KUMAR, Director

FORM-1

[See rule 5(1)]

[To be prepared in duplicate]

Forwarding Memorandum to Godown by the Seizing Officer

- 1. NDPS Crime No. [as per crime and prosecution register under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985)]
- 2. Name and address of the accused
- 3. Place, Date and Time of Scizure
- 4. Description (physical properties) of items in each sealed package / container
- 5. Results of test done, if any, by drug detection kit
- Quantity in each sealed package / container
- 7. No. of packages / containers, material wise, containing similar material
- 8. Total Number of Packages / Containers
- 10. Description of each conveyance, such as type, make, manufacturer name, colour, etc., alongwith identification number associated with each conveyance, such as registration number, engine number, chasis number, etc.
- 11. Description of animal used as conveyance

FORM-2

[Sec rule 5(2)]

Acknowledgement by Officer-in-charge of a Godown

	As an a continual
J anglica by I	kages / containers and number of conveyances, from, as per nim and endorsed by the undersigned (Original copy of Form-1 retained and and entered in godown register vide entry No
Place:	Signature of the Officer-in-charge of the Godown
Date:	with Full Name. Designation and official Seal
Time:	
	FORM-3
	[See rule 6(2)]

Register of material received in Godown

R	egister of material received in Godown
Godown Register No	Name of the Officer-in-charge of the Godown
Year	

- Godown Entry Sl. No:
- 2. NDPS Crime No:
- 3. Name/designation/address of the seizing / depositing officer:
- 4. Facsimile of the seal put on the packages / containers by the seizing officer:
- 5. Name and address of the accused:
- 6. Place, Date and Time of Seizure:7. Date and time of deposit in godown:
- 8. Description (physical properties) of items in each sealed package / container:
- 9. Gross Quantity in each sealed package / container:
- 10. Net quantity after taking sample in the presence of the Magistrate:
- 11. No. of packages / containers, material wise, containing similar material:
- 12. Total Number of Packages / Containers:
- 14. Description of each conveyance, such as type, make, manufacturer name, colour, etc., along with identification number associated with each conveyance, such as registration number, engine number, chassis number, etc:
- 15. Description of animal used as conveyance:
- 17. Whether Magistrate has allowed the application moved under Section 52A (mention details):
- 18. Date and time of removal for disposal:
- 19. Certificate of destruction / disposal, as the case may be:
- 20. Remarks of the Inspecting Officer:

FORM-4 [See rule 8]

INVENTORY OF SEIZED MATERIAL

runder sub-section (2) oc e	THE TENIAL
Tollder and section (2) of Section 52A of	the National Control of the Control
Case No.	the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act,1985]
Seizing agency:	
Scizing officer:	
Date of seizure:	
Place of seizure:	
Name and designation of the officer preparing this is	nventory:
	,

TABLE

	Description of the items seized	Quality	Quantity	Mode of packing	Mark and numbers	Other identifying Particulars of seized items or packing	Country of origin	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Signature, name and designation of the officer

Certification by the Magistrate under sub-section (3) of section 52A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985

Whereas the above officer applied to me under sub-section (2) section 52A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 to certify the above inventory and sub-section (3) of that section requires any Magistrate to whom an application is made to allow the application as soon as may be, I, having been satisfied that the above inventory is as per the seizure documents and the consignments of seized materials related to the case presented before me, certify the correctness of the above inventory.

Signature, name and designation of the Magistrate

FORM-5

[See rule 8 and rule18(1)]

APPLICATION FOR DISPOSAL OF SEIZED NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBTANCES, CONTROLLED SUBSTANCES AND CONVEYANCES UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 52A OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985

[Application to be made by the officer in-charge of a police station or an officer empowered under section 53 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985who has custody of the material seized under the said Act

To

Learned Magistrate,

Sir.

Sub: Application for certification of correctness of inventory, photographs and samples of seized narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances and conveyances

1. All narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances and conveyances have been identified by
the Central Courses. the Central Government under section 52A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 as vulnerable to theft and substitution vide Notification No........ dated...........

E C---- J...IL ONEN C----

As required under sub-section (2) of section 52 A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. 1985, I submit the enclosed inventory of seized material and request you to-

(a) certify the correctness of the inventory;

(b) permit taking, in your presence, photographs of the seized items in the inventory and certify such

(c) allow drawing of representative samples in your presence and certify the correctness of the list of samples so

3. I request you to allow this application under sub-section (3) of section 52 A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 so that the seized narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances can thereafter be disposed of as per sub-section (1) of section 52Aof the said Act retaining the certificate, photographs and samples as primary evidence as per sub-section (4) of section 52A.

Yours faithfully,

Signature, name and designation of the officer

Date:

CERTIFICATE BY THE MAGISTRATE UNDER SUB-SECTION (3) OF SECTION 52A OF THE NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985

I allow the above application under sub-section (3) of section 52A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and hereby, certify the correctness of the enclosed inventory, the enclosed photographs taken and the list of samples drawn in my presence.

Signature, name and designation of the Magistrate

Date:

FORM-6 [Sec rule 13(2)] TEST MEMO

Name and address of the seizure organisation

Section -I (for use by the Scizing Officer)

- Crime No. 1.
- Name and Address of the Officer(s) drawing sample: 2.
- Name and address of the accused(s): 3.
- Alleged description of drug and 4. Weight of samples (net weight):
- Date and time of seizure: 5.
- Place of Seizure: 6.
- Date of draw of sample: 7.
- No. of samples and marking on each of them for 8. identification:

(a) Description of Seal:

(b) No. of seal put on samples:

Facsimile of the seal:

Name and signature of the forwarding Officer

SECTION-II FOR USE IN THE LABORATORY

- 1. Date of receipt in the laboratory:
- 2. Weight (Net Weight) as found in the Inborntory:
- 3. Date of conducting result of: -
 - Qualitative Test: (a)
 - Quantitative Test: **(b)**
 - General observation of the Chemist: (c)

Name and signature of the Chemist

FORM-7

[See rule 25]

CERTIFICATE OF DESTRUCTION

This is to certify that the following narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances, were destroyed in our presence-

- 1. Case No.
- 2. Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance:
- 3. Seizing agency:
- 4. Seizing officer:
- 5. Date of seizure:
- 6. Place of Seizure:
- 7. Godown entry number:
- 8. Gross weight of the drug seized:
- 9. Net weight of the narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances destroyed (after taking samples, etc.):
- 10. Where and how destroyed:

Signature(s), name(s) and designation(s) of Chairman and Members of the Drug Disposal Committee.

A AFICATE BY GOVERNMENT OPIUM AND ALKALOID WORKS Reference No This is to certify that the following narcotic drugs / psychotropic substances / controlled substances were in the Government Opium and Albalold West received in the Government Opium and Alkaloid Works: 2. Scizing agency; 3. Seizing officer: 4. Date of seizure: 5. Place of Seizure: 6. Godown entry number: 7. Detail of the Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance received in the Government Opium and Alkaloid Works:-(a) Name of the Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance Net weight of the Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance received (if more than one drug and/or substance, net weight of the each to be specified) 8. Receipt of the aforesaid Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance has been entered in the register at Sl No ._ Signature, name, designation, office address of the officer authorised to sign this certificate as provided in FORM-9 [See rule 26 (2)] REGISTER OF RECEIPT OF NARCOTIC DRUG / PSYCHOTROPIC SUBSTANCE / CONTROLLED SUBSTANCE TO BE MAINTIANED BY GOVERNMENT OPIUM AND ALKALOID WORKS

1. SI No:

rule 26.

2. Casc No:

3. Seizing agency:

4. Seizing officer:

5. Date of seizure:

6. Place of Seizure:

7. Godown entry number:

8. Name of the Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance:

Net weight of the Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance received (if more than one drug or substance, net weight of the each to be specified with consecutive serial number):

10. Reference No. and Date of the Certificate issued for receipt of the aforesaid Narcotic Drug/Psychotropic Substance/Controlled Substance:

Signature, name, and designation of the officer authorized to sign the certificate as provided in rule 26.

FORM-10

[See rule 27]

CERTIFICATE OF DISPOSAL

This is to certify that the following narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances, and conveyances were disposed of:-

- 1. Case No:
- 2. Seizing agency:
- 3. Seizing officer:
- 4. Date of scizure:
- 5. Place of Scizure:
- 6. Godown entry number:
- 7. Detail of the Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance: -
 - (a) Name of the drug / substance:
 - (b) Gross weight of the drug / substance seized (if more than one drug or substance, gross weight of the each to be specified):
 - (c) Net weight of the drug / substance after taking samples (if more than one drug and/or substance, net weight of the each to be specified):
- (d) Quantity transferred to Government Opium and Alkaloid Works:
- (e) Reference No. and Date of the Certificate issued by Government Opium and Alkaloid Works:
- (f) Quantity sold:
- (g) Sale proceeds realised (in Rupees):
- (h) To whom sold:

8. Detail of the conveyance: -

(a) Registration Number of the conveyance:

(b) Description of the conveyance (manufacturer, model, colour, etc. to be specified):

(c) Identification numbers of the conveyance, such as engine number, chassis number, etc., to be specified:

- (d) Sale proceeds realised (in Rupees):
- (e) To whom sold:

ature(s), name(s) and designation(s) of Chairman and Members of the Drug Disposal Committee.

[See rule 28]

QUARTERLY REPORT TO BE SUBMITTED BY DRUG LAW ENFORCEMENT AGENCY/STATE DRUG LAW ENFORCEMENT AGENCY TO THE NARCOTICS CONTROL BUREAU

2	TARCOTICS CONTROL BUREAU
Report for the quarter ending	
Name and address of the law enforcement	Date
1. Number of cases at the beginning of the	C marter
2. Number of new cases during the quant	e quarter
3. Total number of cases (1+2):	
4. Out of the total number of cases at 3 above, number of cases where application has been moved under sub-section 2 of section 52A of the Act:	
5. Number of cases where application moved under sub-section 2 of section 52A of the Act has been allowed under sub-section (3) of the said section 52A:	
6. Out of the cases at 5 above, number of cases where seized material has been disposed of	

Signature, name, designation, office address of the officer authorised by the Head of Department of Central Law Enforcement Agency/ State Law Enforcement Agency to sign this certificate.